

43. प्रपत्रों के अभिलेखः—जब उधार दे दिये गये हों, प्रपत्र संख्या 3, 4 या 5 में दी गई आज्ञाएं संबंधित आवेदन-पत्र के साथ प्रत्येक मामले को पृथक भिसल में लगाई जायेगी।

44. उधार की पश्चातवर्ती किश्तों का दिया जाना:—जब उधार की दूसरी या पश्चातवर्ती किश्त दी जानी हो, तो उसका भुगतान इन नियमों में प्रावहित रीति से निया जायेगा। प्रत्येक किश्त के दिये जाने के पहले विशेष जांच आवश्यक नहीं है। पटवारियों की रिपोर्ट (देखिये नियम 47) साधारणतया गिरदावर कानूनगो द्वारा यथाविधि जांची जाकर प्राप्त होने के पश्चात् और दो हजार रुपये से अधिक की किश्त होने की दशा में, तहसीलदार या नायब-तहसीलदार द्वारा यथ विधि जांची जावार प्राप्त होने के पश्चात् स्वीकृत हो सकेगी। यदि सदभावनापूर्वक कार्य किया गया है और ऐसा कोई आरप्रकट नहीं हो ताकि किश्त रोकी जाय, तो किश्त का भुगतान शीघ्रतया कर दिया जाना चाहिए।

45. उधार की वसूली और वसूली की किश्तों:—दिये गये उधारों की वसूली के लिये यथोनित समय पर आग्रहपूर्वक यत्न निया जाना चाहिये। इस बारे में वह सुनिश्चित करने के लिये कि वसूली करने में किसानों को कम से कम असुविधा हो यह आवश्यक है कि देय होने वाली वसूलियाँ उमा समय दृढ़ता-पूर्वक की जानी चाहिए जब कि फसलें खलिहान में पड़ी हों अथवा उसके तुरन्त पश्चात् जब कि आसामी उन्हें अनाज के व्यापारियों को दे रहे हों। जब कोई उधार कई व्यक्तियों के संयुक्त उत्तरदायित्व पर दिया गया है, वसूली धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति से उसके द्वारा दिये गये उधार के वास्तविक अंश की सीमा तक की जानी चाहिये, किन्तु जब यह संबंध न हो, उधार को संपूर्ण राशि के लिये सभी पाने वालों का संयुक्त उत्तरदायित्व कठोरता से लागू किया जाना चाहिये। यथ आसामी स्वेच्छा से संयुक्त रूप में प्रतिदान करने का प्रस्ताव करें, तो संयुक्त भुगतान स्वीकार न कर निया जाना चाहिये उधारग्रहीता अपनी इच्छा से, उधार या उधार की किसी किश्त का प्रतिदान, उधार भंगूर किये जाने की आज्ञा में निश्चित अवधि से कम अवधि में कर सकेगा। ऐसे गामलों ने दशा नियम 9 में प्रावहित रीति से, कम हुए शेषों पर प्रतिगणित किया जायेगा।

46. यदि संपूर्ण उधार एक मुश्त राशि में दिया जाय तो तुरन्त हो और यदि किश्तों में दिया जाय तो अंतिम किश्त के बाद में, प्रत्येक उधारग्रहीता को प्रपत्र 6 में एक स्तिप्र जित में, प्रतिदेव किश्तों और वे तारीखें, जब किश्तों का प्रतिदान किया जाना चाहिये, बताई हुई हों, दी जायेगी।

47. बाकी निकल रही राशियों को वसूल करने में सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा बहुत पहले दिये गये उधारों को बताया के विषय में विशेष पर्यवेक्षण अपेक्षित है। ऐसे गांवों का जिनां बहुत नम्बे गमय से बताया निकल रही हो, निरीक्षण सब-डिविजनल आफिसर द्वारा स्वयं किया जाना चाहिये और जिन कारणोंवश अदायगी न की जा सकी हो वे कारण सही तौर पर मालूम किये जाने चाहिये और उन राशियों को बिना किसी और देरी के वसूली कार्यवाही की जानी चाहिये या यदि वे वास्तव न वसूल न होने योग्य पाई जावें तो उनका अपलेखन कराये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिये।

48. उधारग्रहीता उधार के किसी प्रतिदान के समय प्रपत्र 6 में स्तिप्र प्रस्तुत करेगा और तुकाई गई राशि उस पर पूँडांकित को जायेगी। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा तारीख के हिमाय में प्राप्त की गई सभी राशियों के लिये प्रमाणिक रसीद प्रपत्र (लैण्ड रेकार्ड्स मेन्यूल न के प्राप्त पी. 33) में रसीदे दी जायेगी। प्रपत्र 6 में जो स्तिप्र होगी उसमें, अन्य विवरण के अतिरिक्त, देखी की शीर्षक और तकावी रजिस्टर के क्रमांक के लिये खाने रखे जायेंगे।

49. रसीदें तीन परतों में तैयार की जायेंगी, एक परत पाने वाले को दी जायेगी, दूसरी परत तहसील सब-डिविजनल को भेजे जाने के लिये अर्ज इरसात के साथ लाई जायेगी और तीसरी परत दसीद बुक में रहेगी।

50. (1) जब उधार की कोई वसूलियाँ की जावं। अंकलन प्रथम देव व्याज के प्रति किया जायेगा और शेष का मूलधन के प्रति किया जायेगा तथा मूलधन और व्याज (यह कोई हो) का अवशेष, जो बताया हो, तारीख रजिस्टर में दिखलाया जायगा। यदि भुगतान, जो किया जाय, व्याज सहित उधार को पूर्णतया चुकाने के लिये अपेक्षित कुल राशि से अधिक हो, तो तिनका राशि वापिस नहीं

जायेगी। यदि भुगतान चालू किश्त, ब्याज सहित, चुकाने के लिये अपेक्षित राशि से अधिक हो फिर उधार का पूरा प्रतिदान न हुआ हो, तो अतिरिक्त राशि मूलधन में आंशिक (जमा की जाएगी)।

(2) ट्रैजरी में उधार की राशियाँ देने में विशेष यह सावधानी रखी जानी चाहिये कि वसूल की हुई ब्याज और मूलधन की राशियाँ अलग अलग और स्पष्ट रूप में आंशिक की जायें क्योंकि ब्याज राशि-धन क्षण जापन (प्लस एण्ड माइनस मेसोरेन्डम) में आंशिक नहीं की जानी चाहिये, और मूलधन आंशिकता किया जाना चाहिये।

51. उधार दिये जाने के लिये निधियों का उठाया जाना:—संवितरण-अधिकारी राजस्थान जनरल फाईनेन्शियल एण्ड अकाउन्ट्स रूल्स के प्रपत्र जी० ए० 121 में विवरों (विमा) के लिये नकद रूपया प्राप्त कर सकेगा।

52. ये विपत्र (बिल्स) तहसीलदार द्वारा संचित किये जाने चाहिये।

53. राजस्थान जनरल फाईनेन्शियल एण्ड अकाउन्ट्स रूल्स के प्रपत्र जी० ए० 121 में उठाई गई अप्रिय राशि के लिये, सविस्तार वितरण लेखा महालेखपाल को, उपरोक्त निधियों के प्रपत्र जी० ए० 122 में ऐसे महीने, जिसमें राशि ट्रैजरी से उठायी जाती है, के ठीक बाद में आने वाले महीने की समाप्ति तक प्रस्तुत किया जाना चाहिये। ऐसे सविस्तार विपत्रों पर जो कलेक्टर द्वारा प्रति हृस्ताभित होने चाहिये, ये प्रमाण-पत्र होंगे कि (1) उधार की राशि देदी गई है, (2) आवश्यक रसीदें प्राप्त कर ली गई हैं और (3) भुगतान उधार, रजिस्टरों में दर्ज कर लिये गये हैं।

54. मिसले और रजिस्टर:—तकावी उधारों का मूल अभिलेख, जिस में आवेदन-पत्र अधिकारी द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट, आज्ञा प्रपत्र, और कोई अन्य सुसंगत कागजात सम्मिलित है, तहसील कार्यालय, जो इन उधारों के दिये जाने और वसूल किये जाने का केंद्र है, में प्रत्येक पृथक मामले के लिये अलग मिसल में रखा जाएगा।

55. ये सब मिसले रजिस्टर में पूरे ब्यौरे सहित जैसे आवेदक का नाम, गांव, उसके लिये मंजूर किये गये उधार का प्रकार, तिथिक्रम में दर्ज की जानी चाहिये इस प्रकार कलेक्टर या सब-डिविजनल आफिसर द्वारा मंजूर किये गये उधार आवेदन-पत्रों का भुगतान और अभिनिवित होने के लिये तहसील को भेजा जाना अपेक्षित होगा।

56. कलेक्टर को अपने कार्यालय में तकावी उधारों का अभिलेख रखने में समर्थ बनाने के लिये संवितरण-अधिकारी (तहसीलदार) कलेक्टर को, तकावी अग्रिमों के तहसील के रजिस्टर में दर्ज मासिक व्यवहारों का एक उद्धरण भेजेगा। कलेक्टर ऐसी प्रविष्टियों को अपने कार्यालय में नियमित रूप से उसी फर्म में किन्तु तहसीलदार और तारीख मुकम्मल रखे गये रजिस्टर में निखारायेगा।

57. प्रत्येक तहसील में प्रपत्र 7 में तकावी उधारों का लेखा तकावी अग्रिमों के रजिस्टर में रखा जायेगा। इस रजिस्टर को ठीक तरह रखने के लिये प्रत्येक पृष्ठ पर तीन से अधिक उधार के मामले दर्ज नहीं किये जाने चाहिये, ताकि प्रत्येक मामले संबंधी इन्द्राजात के लिये प्रयोगित जगह उपलब्ध हो सके। उधार-लेखा के सारांश प्रपत्र 8 (उधार-लेखे का सारांश: रसीदें) और प्रपत्र 9 (वसूलियों का सारांश: केवल मूलधन) में तैयार किये जायेंगे। ब्याज की प्राप्तियों और मूलधन की वसूलियों का गव-ट्रैकरी के हिमाच में और अन्तर: महालेखपाल द्वारा रखी जाने वाली पुस्तों से समाधान किया जाना चाहिये।

58. नियम 56 के अधीन कलेक्टर के कार्यालय को भेजे जाने वाले उद्धरण में उधार की सारी सूचना, जिसमें कि मूल आवेदन-पत्र का निर्देश, लेजर फोलियो, मंजूर करने वाला प्राधिकारी, संख्या और तारीख इत्यादि सम्मिलित हैं, होनी चाहिये ताकि कलेक्टर के कार्यालय का विपक्ष (कलर्क) उधार-लेखों का प्रतिरूप (काउन्टरपार्ट) पूरे विस्तार में रख सके।

59. तहसील के तकाबी अग्रिमों के रजिस्टर की क्रम संख्या उसी रूप में जैसे कि वह तहसील रजिस्टर में अंकित है, कलेक्टर के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर में लेख के लिये नियत की जानी चाहिये। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से पृथक क्रम संख्याएं प्रारम्भ की जायेगी और उनका पूर्ववर्ती वर्षों की क्रम संख्याओं से भेद प्रकट करने के लिये संख्या के साथ वित्तीय वर्ष का उल्लेख करना भी आवश्यक होगा, उदाहरणार्थ लेजर फोलियों संख्या 50/ 52-53।

60. कोई मिसल, जब तक कि उस पर निम्नलिखित अंकित नहीं कर दिया जाय, अभिलेखागार को नहीं भेजी जायेगी :—

- (क) कलेक्टर के कार्यालय में रखे गये रजिस्टर में प्रत्येक उधार के लिये नियत की गई क्रम संख्या, और तहसील के रजिस्टर में उसका इन्द्राज होने के विषय में तहसील के राजस्व लेखापाल की अन्युक्तियाँ।
- (ख) यदि उधार की शर्त का कोई अंश किसी कार्य का निष्पादन हो, तब तक जब तक कि संवितरण-अधिकारी, व्यक्तिक निरीक्षण द्वारा या अन्यथा संतुष्ट न हो जाय तो कार्य वास्तव में कर दिया गया है, और मिसल में इस निमित्त टिप्पणी न लिख दी जाय।

61. तहसीलदार द्वारा उधार दिये जाने और उनकी वसूलियों के विवरण-पत्र प्रपत्र 10 में सब-डिविजनल आफिसर्स की मार्फत कलेक्टरों को प्रस्तुत किये जायेंगे जिनको उन पर ऐसी आज्ञाएं, जिन्हें वे तहसीलदारों के पथ प्रदर्शन के लिये आवश्यक समझें, लिखते हुए सावधानी से अध्ययन करना चाहिये। इन विवरण-पत्रों में दिये गये अंकों की तुलना और समाधान नियम 57 के अधीन तैयार किये गये संक्षिप्त विवरणों में सम्मिलित किये गये अंकों से किया जाना चाहिये।

62. सब-डिविजनल आफिसर्स को सरकार और कृषकों, दोनों ही के हित में वसूलियाँ नियंत्रित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। इन विवरण-पत्रों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना उग्र समय आवश्यक है जब कि कृषि-इष्टिकोण अलग न हो। कृषकों को बीजों, बैलों या कुओं के लिये उधार देने से कोई लाभ नहीं है, यदि वसूलियाँ मशीन के तौर की जायें और कृषकों को सरकारी उधार चुकाने के हेतु अन्य प्राइवेट उधार लेना पड़े। अथवा खरीदे हुए बैलों को बेचना पड़े।

उधार की छूट (रेभिशन)

63. उधारों की छूट सरकार द्वारा मंजूर की गई वित्तीय अधिकारों को सुपुर्दगी के अनुसार अधिशासित होगी। छूट उधार रजिस्टर में तब तक अभिलिखित नहीं की जायेगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी की सूचना प्रेषित न कर दी गई हो और महालेखापाल की पुस्तकों में किये गये रामायोजन की आवश्यक सूचना संबंधित तहसील को कलेक्टर के मार्फत प्राप्त न हो गई हो। (तुनना कीजिये जनरल फाईनेन्शियल एण्ड अकाउन्ट्स रूल्स का रूल 36 और इन नियमों का फार्म जी० ए० 16)।

64. छूट के प्रस्ताव में वे आधार पूर्णरूपेण स्पष्ट किये जाने चाहिये जिन पर कलेक्टर यह समझे कि छूट न्यायोचित है। छूट केवल उस समय मंजूर की जानी चाहिये जब कोई उधार वास्तव में वसूल न किया जा सकते योग्य हो, अथवा जब कोई सुधार-कार्य ऐसे कारणोंबाट विफल हो गया हो जो उधारग्रहीता के नियंत्रण से बाहर हो और उधार की पूरी वसूली से उधारग्रहीता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़े। पीछे वर्णित स्थिति में सब-डिविजनल आफिसर को स्थानीय जांच करनी चाहिये। जब कोई उधार वसूल किये जाने योग्य ठहराया जाय तो, उसके प्रतिदान के लिये ली गई प्रतिभूति का प्रकार लिखते समय रेहत रखी गई संपत्ति का मूल्य वसूल न करने के कारण अथवा प्रतिभूति के विरुद्ध की गई कार्यवाही जैसी दण्ड गंह हो, भी लिखी जायेगी।

65. मूलधन की छूट के साथ छोड़े गये मूलधन पर तारीख वाजिब ब्याज की छूट है। इसके कानूनवृल्प जब छूट के प्रस्ताव किये जाते हैं, देय ब्याज की प्रतिगणना प्रनावश्यक होती है। लेखे में वसूला रहने वाले मूलधन की शेष राशि में से केवल परिहित (छोड़ी गई) राशि कम कर दी जायेगी, और यदि कोई मूलधन वसूल किया जाना रह जाय, ब्याज आगामी भुगतान के समय केवल कम हुए शेष पर प्रतिगणित किया जायेगा।

तकावी मांग के विवरण-पत्र और उनकी जांच (खतोनी)

66. प्रत्येक वर्ष तारीख 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल के पश्चात् यथा संभव शान्ति तहसीलदार उधार लेखों से एक मांग विवरण-पत्र जिसमें प्रत्येक वर्ग के उधार की मांगों, जो क्रमशः तारीख 31 मार्च और 30 सितम्बर को समाप्त होने वाले अर्द्ध-वर्ष में देय हों, बताई गई ही, दो परत में तैयार करवायेगा। वह कलेक्टर को भी पूर्ववर्ती अर्द्ध-वर्ष के मांग विवरण-पत्र (प्रपत्र 11) की प्रतिलिपि, वसूलियों के इन्द्राजात, जो पूर्ण हों और जिनकी जोड़े लगाई दी गई हों, के साथ, और बकाया बताई गई राशियों का योग, इस प्रमाण-पत्र सहित कि उसने अपने आपको संतुष्ट कर लिया है कि अर्द्ध-वर्ष में की गई मूलधन और ब्याज की वसूलियाँ रजिस्टर में यथाविधि अभिलिखित कर दी गई हैं, प्रस्तुत करेगा।

67. जब ये मांग विवरण-पत्र कलेक्टर के कार्यालय में प्राप्त हो तब उसकी राविस्तार जांच उसके कार्यालय में रखे जाने वाले उधार-रजिस्टर और मिसलों से की जानी चाहिये। विभेदों, यदि हों, का समाधान किये जाने के पश्चात् कलेक्टर के कार्यालय का तकावी लिपिक अर्द्ध-वर्ष की कुल मांग का नोट अपने पास रखेगा और मांग विवरण-पत्र तहसील को जहां पर कि उसमें वर्णित मांग के अनुसार वसूलियाँ की जायेंगी, लौटा देगा। कलेक्टरों को तहसीलों के लिये ऐसे अनुदेश जारी करने चाहिये जिससे कि यथाविधि सत्यापित मांग-पत्र का तहसील को उस तारीख से पहले जबकि प्रथम किश्त देय हो, लौटाया जाना सुनिश्चित हो जाय। तथापि पूर्ववर्ती अर्द्ध-वर्ष का मांग विवरण-पत्र कलेक्टर के कार्यालय में रखा जायेगा और उसमें मालूम पड़ने वाली गलती सुधारे जाने के लिये तहसीलदार को सूचित की जायेगी।

68. तहसील के तकावों अग्रिमों के रजिस्टर में प्राप्तियाँ संबंधी इन्द्राजात की जांच, निरीक्षणों के समय इन्द्राजात के दस प्रतिशत तक, तहसीलदार और नायब-तहसीलदार द्वारा और उचित सीमा तक निरीक्षक अधिकारी द्वारा की जायेगी।

69. भुगतान के समय ब्याज की प्रतिगणना तहसील के कर्मचारीवर्ग पर छोड़ कर, तदसीलदार या नायब-तहसीलदार एक महीने में प्रतिगणनाएं के कम से कम दस प्रतिशत तक की जांच करेगा और सत्यापन के लिन्ह स्वरूप, जांचे गये लेखों पर संक्षिप्त हस्ताक्षर करेगा। इसी प्रकार राजस्व विभाग के निरीक्षक अधिकारी निरीक्षक के समय कतिपय मदों के विषय में अपने आपको संतुष्ट करेंगे कि प्रतिगणनाएं सही रीति से की गई हैं। कोई भी भेद मालूम पड़ने पर कलेक्टर को आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट भेजी जायेगी।

70. तहसीलदार तहसील के उधार लेखों का अच्छी तरह पर्यवेक्षण करेगा। वह यह सुनिश्चित करने के लिये कि उधार लेखों और मांग विवरण-पत्र सही रीति से बनाये गये हैं इन्द्राजात की जांच पर्याप्त मात्रा में या तो स्वयं करेगा या नायब-तहसीलदार को ऐसी जांच करने के लिये कहेगा।

तिमाही विवरण-पत्र

71. कलेक्टर तारीख 31 दिसम्बर, 31 मार्च, 30 जून और 30 सितम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में विवरण-पत्र, सरकार के राजस्व विभाग को प्रस्तुत किये जाने के लिये, प्रपत्र 10 में, उराए निर्वितण के शब्दों राजस्व कर्मचारीवर्ग द्वारा सभी प्रकार के तकावी उधारों का कुल वितरण और वसूली बताते हुए, संग्रहीत करेगा। ये विवरण-पत्र महालेखापाल द्वारा निर्धारित प्रत्येक लेखा शीषक के लिये अलग अलग तैयार किये जावेंगे। इस विवरण-पत्र का प्रयोग दोहरा है, अर्थात् वसूली की प्रगति का पुनर्विलोकन करना और यह देखना कि उधार-लेखे, महालेखापाल की पुस्तकों में बताई हुई सरकार की आस्तियों की राशि (एसेट फिगर) से मिलान करते हुए सही रीति से रखे जाते हैं।

72. इस विवरण-पत्र में एक स्तंभ, कोषागार अधिकारी द्वारा महालेखापाल को भेजे जाने वाले मासिक लेखों में बताये गये अंकों से तुरना करके सत्यापन करने के लिये, रखा गया है। यह समाधान सच्चाई के राथ लिया जाना चाहिये जिससे कि लेखा वर्गीकरण संबंधी गलतियाँ और प्रत्येक वर्ष के अंत में महालेखापाल द्वारा तूचित शेषों के अभिस्वीकरण में होने वाली कठिनाईयों का परिहार किया जा सके।

73. ये विवरण-पत्र दो परत में तैयार किये जायेंगे जिनमें से एक प्रति सरकार के राजस्व विभाग को डिविजन के कमिश्नर, जो उसकी परीक्षा इस दृष्टिकोण से भली प्रकार करेगा कि कौनसी तहसीलें वसूली करने में शिथिल रही हैं और शिथिलता के कारणों की जांच करेगा, के मार्फत भेजी जायेंगी। इस विवरण-पत्र के जरिये प्रत्येक जिले में निधियों के आवंटन के विषय में बजट संबंधी नियंत्रण रखने में और उक्त निधियों के प्रयोग में सुविधा होगी। कमिश्नर यह विवरण-पत्र अपनी टीका सहित, राजस्व बोर्ड को भेजेगा। विवरण-पत्र की दूसरी प्रति कलेक्टर द्वारा सीधे भेजी जानी चाहिये जो कि विभागीय अंकों के, महालेखा-पाल को पुस्तकों के अंकों से समाधान की व्यवस्था करेगा (तुलना कीजिये-जनरल पार्फिनिशियल एण्ड अकाउन्ट्स रूल्स का रूल 164)।

उधार के संबंध में विशेष पूर्वोपाय

74. उधार मंजूर किये जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र तहसीलदार मंजूरी किये गये उधार की रीति जिससे यह दिया जाना है, सुधार के प्रकार और समय, जिसकी समाप्ति तक सुधार पूर्णतः या अंशतः पूर्ण किया जाना है, की सूचना पटवारी को देगा। पटवारी, गिरदावर, कानूनगो के मार्फत तहसीलदार को तकावी के यथोचित उपयोग और कार्य की प्रगति के विषय में तिमाही विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा जैसा कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू (लैंड रेकार्ड्स) रूल्स, 1957 के पैरा 37 में अपेक्षित है। तहसीलदार सब-डिविजनल आफिसर को उधार खाते किये गये व्यय की और जिस प्रयोजन के लिये उधार दिया गया हो उस कार्य की प्रगति के विषय में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

75. यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि प्रगति रिपोर्ट यथाविधि प्राप्त होती रहे, तहसील में प्रत्येक उधार के लिये एक मिसल, आज्ञा-पत्र (आर्डरशीट) सहित अलग रखी जानी चाहिये। मिसलबंद रजिस्टर की नियत कालिक जांच से पता चलेगा कि कौनसे मामले बहुत अधिक समय से चल रहे हैं। तहसील का तकावी बल्कि यह ध्यान रखने के लिये उत्तरदायी होगा कि पटवारियों से रिपोर्ट ठीक समय पर प्राप्त होती है और उपयुक्त मिसल में रखी जाती है।

76. कोई पटवारी, गिरदावर, कानूनगो, नायब-तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी, किसी भी समय, ऐसी किसी भूमि, जिसके सुधार के लिये कोई उधार दिया गया है, पर, अथवा ऐसे सुधार कार्य, जो वहां पर चल रहा है, में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा।

निरसन

77. राजस्थान तकावी रूल्स और कृषि प्रयोजनों के लिये उधारों के विषय में इस समय आवृ, अजमेर और सुनेल क्षेत्रों में प्रभावशील नियम एतद्दृ। या निरस्त किये जाते हैं।

प्रपत्र संख्या 1

(देखिये नियम 12 और 13)

प्रपत्र—तकावी के लिये आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम
2. उसके पिता का नाम
3. जाति
4. वृत्ति, भू-वृत्ति (टिनेन्सी) के वर्ग सहित (आवेदन की अंश)।

5. निवास-स्थान
6. प्रयोजन जिसके लिए उधार अपेक्षित है (और वर्ग 1 के उधार की दशा में, सुधार कार्य का प्रकार और वर्णन तथा सुधारे जानी वाली भूमि में आवेदक का हित)।
7. अपेक्षित उधार राशि
8. प्रस्तुत की गई प्रतिभूति का प्रकार
9. प्रतिभू के नाम और अन्य व्यौदे
10. आया आवेदक और प्रतिभूति की संपत्ति, जो कल्पबद्ध (हाइपोथिकेटेड) की जानी है, किसी भी अधिभार से मुक्त है।
11. कब्जे में होने वाले खाते का क्षेत्रफल
12. आया कोई उधार पहले कभी लिया गया था ? यदि हाँ, तो क्या वह पूर्णरूपेण चुका दिया गया है या कोई राशि बकाया है ?
13. वार्षिक लगान कितना दिया जाता है ?
14. क्या लगान की कोई बकाया राशियां देय हैं ?
15. उधार का प्रतिदान कितनी किश्तों में किये जाने का प्रस्ताव है ?

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य जहाँ तक मुझे ज्ञान और विश्वास है सही है और यदि मुझे उधार दिया जाय, तो मैं राजस्थान एग्रिकल्चरल लोन्स (तकावी) नियम, 1958 का और उन निबन्धनों व शर्तों, जिन पर उधार दिया जाता है, का पूर्ण रूप से अनुसरण करूँगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

(पृष्ठ भाग पर मुद्रित किये जाने के लिये)

1. पटवारी की रिपोर्ट
2. तहसी द्वार की सिफारिश
3. एस० डी० औ० या कलेक्टर की आझा

प्रपत्र संख्या 2

(देखिये नियम 17)

प्रपत्र—तकावी हेतु आवेदनभूतों पर रिपोर्ट

1. आवेदक का नाम, पिता का नाम और पता सहित :

 - (क) क्या आवेदक सद्भावी कृषक है ?

2. खसरा नम्बर और खाते का क्षेत्रफल :

 - (क) कृष्य
 - (ख) अकृष्य

3. खाते का मूल्यांकन
4. उधार राशि जिसके लिए आवेदन किया गया है
5. प्रयोजन जिसके लिये उधार अपेक्षित है
6. प्रस्तावित कार्य में होने वाले कुल व्यय के अनुमान
7. आवेदक अकितगत साधनों से या शारीरिक श्रम के रूप में या दोनों प्रकार से कार्य की लागत के प्रति कितना दांशदान करेगा ?
8. उस सुधार, जिसके लिये अर्थ-प्रबन्ध इस उधार में से किया जाना अपेक्षित है, से भूमि के कितने क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा और आया मूलधन और व्याज का प्रतिदान सुधार होने वाले लाभों से किया जा सकता है ?
9. क्या आवेदक द्वारा पहले कभी तकावी उधार प्राप्त किया गया था, यदि हाँ, तो कब और कितना ?
10. तकावी राशि का प्रयोग किस प्रकार किया गया था ?
11. क्या आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य में कोई तकावी की या अन्य सरकारी मांग (पब्लिक डिमांड) की बकाया शेष है ? यदि हाँ, तो उसका सविस्तार व्योरा जैसे कि उधार की तारीख, प्रयोजन, सदस्य का नाम, विभाग का नाम और उसके अभी तक बकाया रहने का कारण ।
12. क्या आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी सरकारी मांग की वसूली के लिए कोई उत्पीड़क कार्यवाहियां चल रही हैं ?

13. क्या तहसीलदार या नायब-तहसीलदार ने स्थानीय जिली-काण किया है? यदि हाँ, तो उसकी स्थानीय दशाओं का वर्णन किया जाय।
14. प्रस्तावित प्रतिभू का नाम, बल्दियत और पता
15. प्रतिभू की वित्तीय स्थिति कैसी है? क्या वह अन्यथा प्रतिभू के रूप में स्वीकार किये जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है?
16. क्या प्रस्तावित प्रतिभू के विरुद्ध कोई सरकारी मांग बकाया है?
17. आया प्रतिभृति के रूप में प्रस्तुत की गई संपत्ति अभिभारों से मुक्त है? यदि नहीं, तो अभिभार का प्रकार क्या है, विस्तार कितना है?
18. आया तहसीलदार ऐसे उधार, जिसके लिए आवेदन किया गया है, के दिये जाने की सिफारिश करता है, यदि हाँ, तो राशि जिसके लिए सिफारिश की गई है और सिफारिश के समर्थन में जो कारण दिये हैं वे बतलाये जावें।

हस्ताक्षर

पदनाम

टिप्पणी:—(1) इस रिपोर्ट के प्रयोजनार्थ 'परिवार' में आवेदक के माता, पिता, पितामहा, पितामही, भाई (जिनमें सौतेले भाई, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं) पुत्र और आश्रित व्यक्ति सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:—(2) जहाँ प्रश्नास्पद राशि 1, 500 रुपये से अधिक हो, तहसीलदार से आशा की जाती है कि वह स्वयं स्थानीय जांच करे और उस कार्य को अपने किसी अधीनस्थाधिकारी को न सौंपे।

कार्यालय रिपोर्ट
प्रपत्र संख्या 3

(देखिये नियम 36)

किसी एक व्यक्ति को मन्जूर किये गये वर्ग 2 के आधार का आधा-प्रपत्र

लेजर फोलिया संख्या.....	आवेदन-पत्र संख्या.....	दिनांक.....
रुपये.....	की यह राशि एतद्वारा श्री.....	बल्द.....
जाति.....	साकिन.....	घन्धा.....
निम्नलिखित शर्तों पर.....	के प्रयोजन के लिए दिया जाता है:—	

(1) उधार आवेदन-पत्र में सविस्तार वर्णित संपत्ति अथवा उसके पृष्ठ भाग पर लिए गए प्रतिभूति बंध-पत्र में उल्लिखित वैयक्तिक प्रतिभ () से प्रतिभूत होगा।

(2) इस राशि का ब्याज सहित प्रतिदान सरकार को तहसील में निम्नलिखित किस्तों में किया जायेगा:—

<u>राशि</u>	<u>तारीख</u>	
1	रु०	पर
2	रु०	पर
3	रु०	पर
4	रु०	पर

(3) ब्याज $3\frac{1}{8}$ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से मूलधन की बकाया राशि पर प्रत्येक भुगतान की तारीख को देय होगा,

(4) उधार केवलभाव उस प्रयोजन हेतु जिसके लिए वह दिया जाय, प्रयुक्त किया जायेगा,

(5) यदि तहसीलदार, एस० डी० और० या जिले के किसी अन्य अधिकारी को संतुष्ट करते हुए सिद्ध हो जाय कि उधार या उसका कोई भाग ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह दिया जाय से भिन्न प्रयोजन के लिये प्रयुक्त किया गया है तो संपूर्ण उधार, ब्याज, यदि कोई हो, सहित, तुरन्त वसूली योग्य होगा, और

(6) उधार राजस्थान एप्रिकलचरल लोन्स एक्ट, 1956 (राजस्थान एक्ट 1, सन् 1957) की धारा 7 के अनुसरण में वसूली योग्य होगा।

मैंने पूर्वोक्त शर्तों को समझ लिया है और मैं उनसे सहमत हूं और तदनुसार उधार स्वीकार करता हूं।

उधारप्रहीता के हस्ताक्षर, तारीख सहित।

मैंने रूपये की राशि नकद प्राप्त करली है।

उधारप्रहीता के हस्ताक्षर, तारीख सहित।

मेरी उपस्थिति में नकद चुकाया गया। भुगतान आज्ञा सौंपी गई।

मेरी उपस्थिति में चुकाया गया।

उधार की मंजूरी देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, तारीख सहित।

1. साक्षी.....

(पृष्ठ भाग पर मुद्रित किये जाने के लिए)

प्रतिभूति बंध-पत्र

चूंकि रु० का उधार पूर्वोक्त
को प्रयोजन के लिए दिया गया है।

हम, जिन व्यक्तियों ने नीचे हस्ताक्षर किये हैं, घोषित करते हैं कि हम पूर्वोक्त शर्तों के अनुसरण में उक्त उधार को ब्याज सहित चुकाने के लिए संयुक्त रूप में और पृथक पृथक रूप में उत्तरदायी हैं।

हस्ताक्षर..... साक्षी

हस्ताक्षर..... साक्षी

हस्ताक्षर..... साक्षी

उधार रजिस्टर में संख्या में दर्ज।

जिला राजस्व लेखापाल के हस्ताक्षर,
तारीख सहित।

प्रपत्र संख्या 4

(देखिये नियम 36)

उधारप्रहीता के संयुक्त उत्तरदायित्व पर मंजूर हुए वर्ग 2 के उधार का
आकाश-पत्र

.....रु० की राशि एतद्वारा

के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को निम्नांकित शतों के अधीन मंजूर की जाती है :—

व्यक्ति का नाम	पिता का नाम	जाति	गांव	धन्धा
(क)			
(ख)			
(ग)			
(घ)			

(1) शर्त यह है कि उधार आवेदन-पत्र में आवेदक को सविस्तार वर्णित संपत्ति अथवा उसके पृष्ठ भाग पर लिए गए प्रतिभूति बंध-पत्र में उल्लिखित वैयक्तिक प्रतिभूति से प्रतिभूत होगा ।

(2) उक्त व्यक्ति उनको दिये गये विभिन्न उधारों, ब्याज सहित, की कुल राशि के संयुक्त रूप में उत्तरदायी होगे ।

(3) इस आधार की राशि, ब्याज सहित, सरकार को निम्नलिखित किश्तों में प्रतिवेद्य होगी—

<u>राशि</u>	<u>तारीख</u>
1.	रु० को ।
2.	रु० को ।
3.	रु० को ।
4.	रु० को ।

(4) प्रत्येक भुगतान की तारीख को बकाया मूलधन की शेष राशि पर ब्याज 3-1/8 प्रति वर्ष की दर से देय होगा ।

(5) उधार के बलभाव उस प्रयोजन हेतु जिसके लिए वह दिया जाय, प्रयुक्त किया जायेगा ।

(6) यदि तहसीलदार, एस० डी० ओ० या जिले के किसी अन्य अधिकारी को संतुष्ट करते हुए यह सिद्ध हो जाय कि उधार या उनके कोई भाग ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए वे दिये जायें, से भिन्न प्रयोजन के लिए किये गये हैं, तो संपूर्ण उधार राशि, ब्याज, यदि कोई हो, सहित एक से या उनमें से किसी से तुरन्त बसूली योग्य होगी, तथा

(7) उधार राजस्थान एप्रिकल्चरल लोन्स एकट, 1956 (राज० एकट स० 1, सन् 1957) की धारा 7 के अनुसरण में बसूली योग्य होगा ।

और, हम उधारग्रहीताओं ने उपरोक्त शर्तों को समझ लेने और स्वीकार कर लेने के पश्चात् उसके बदले में हमारे हस्ताक्षर कर दिये हैं।

उधारग्रहीताओं के हस्ताक्षर, तारीख सहित ।

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |

हमने रु० की राशि नकद प्राप्त करली है। मेरी उपस्थिति में नकद चुकाया गया। भुगतान आज्ञा सोंपी गई।

उधारग्रहीताओं के हस्ताक्षर, तारीख सहित ।

- | | | |
|--------------------------------|---------|---------|
| 1. साक्षी | 1. | 2. |
| की उपस्थिति में राशि चुकाई गई। | 3. | 4. |

उधार देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर,
तारीख सहित ।

(पृष्ठ भाग पर मुद्रित किये जाने के लिए)

चूंकि रु० का उधार पूर्वोक्त को प्रयोग के लिए दिया गया है। हम, जिन व्यक्तियों ने मीठे हस्ताक्षर किये हैं, घोषित करते हैं कि हम पूर्वोक्त शर्तों के अनुसरण में उक्त उधार के ब्याज सहित प्रतिवान के लिए संयुक्त रूप में और पृथक पृथक रूप में उत्तरदायी हैं।

हस्ताक्षर	साक्षी
हस्ताक्षर	साक्षी
हस्ताक्षर	साक्षी
उधार रजिस्टर में	संख्या पर दर्ज है।

जिला राजस्व लेखापाल के हस्ताक्षर,
तारीख सहित ।

प्रपत्र संख्या 5

(देखिये नियम 36)

रु० की राशि एतद्वारा
वलद
जाति साक्षी
को राजस्थान एग्रिकल्चरल (तकाबी) नियम, 1858 के अनुसार उधार-
स्वरूप मंजूर किये जाते हैं :—

1. संलग्न बंध-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की और उधारग्रहीता की संयुक्त वैयक्तिक प्रतिभूति पर,
अथवा

2. इस आज्ञा से संलग्न बंध-पत्र में उधारग्रहीता द्वारा कल्पबद्ध ()
संपत्ति की प्रतिभूति पर,

अथवा

3. श्री—वेल्ड
—जाति

ताकिन—द्वारा कल्पबद्ध संपत्ति, अर्थात् (यहां संपत्ति वर्णन दर्ज कीजिए) को संपर्कित प्रतिभूति पर और निम्नलिखित जर्ती के अधीन रहते हुए दिया जाता है:—

(क) इस उधार की राशि निम्नलिखित किश्तों में उसे दी जायेगी:—

- | | | |
|----|------|--------|
| 1. | —रु० | तुरन्त |
| 2. | —रु० | को |
| 3. | —रु० | को |
| 4. | —रु० | को |

(ख) दूसरी (तीसरी और चौथी) किश्तें केवल उसे—जायेंगी जब कि मुझे या जिले के कलेक्टर के मेरे पद-उत्तराधिकारी को संतुष्ट करते हुए सिद्ध किया जाय कि (अनुमानतः क्रमशः—रुपये—रु० और—रु० का) व्यय उक्त उधारग्रहीता द्वारा प्रयुक्त कार्य पर किया गया है,

यहां क्रियान्वित किये जाने वाले सुधार का वर्णन, स्थान के सविस्तार वर्णन (उदाहरणार्थ खसरा संख्याएँ) और गांव के सविस्तार वर्णन सहित कीजिये।

इन्द्राजात 1, 2 और 3 में एक मामले की आवश्यकतानुसार रखा जाना चाहिये और शेष काट दिये जाने चाहियें।

यदि व्यय की राशियां नियत हों, इस कोष्ठक में प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग कीजिये।

यदि शर्त हो कि कार्य के कतिपय भाग पूर्ण किये जायें तो उक्त किश्तें देय होने के समय प्रत्येक किश्त के पूर्व पूर्ण किये जाने वाले भागों का वर्णन कीजिये (क्रमशः पूर्ण कर दिये गये हैं)।

(ग) सम्पूर्ण कार्य—19 के पूर्व समाप्त कर दिया जायेगा,

(घ) इस धारा की राशि $3\frac{1}{2}\%$ ब्याज सहित सरकार को—रु० को (मूलधन और ब्याज को सम्मिलित करते हुए) समान राशि की अद्वैताधिकारी किश्तों में देय होगा जिनमें से प्रथम प्रतिदान—को देय होगा और पश्चात्कर्ता प्रतिदान प्रत्येक—की ओर—को तब तक देय होंगे जब तक कि सम्पूर्ण उधार का ब्याज सहित प्रतिदान न हो जाय,

(इ) उधार केवलमात्र उस प्रयोजन हेतु जिसके लिए वह दिया जाय, प्रयुक्त किया जायेगा।

(च) यदि तहसीलदार, एस० डी० ओ० या किसी अन्य अधिकारी को संतुष्ट करते हुए यह सिद्ध कर दिया जाय कि उधार या उसा कोई भाग ऐसे प्रयोजन, जिसके लिये वह दिया जाय, से भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया गया है अथवा सुधार कार्य पूर्णतः या प्रंशातः पूरा नहीं किया गया है अथवा व्यय शर्त (ज) और (ग) में उल्लिखित तारीखों तक नहीं किया गया है, उस समय तक नहीं चुकाया गया पूरा

उधार, उस पर लगने वाले ब्याज (यदि कोई हो) सहित उधारग्रहीता या उसके प्रतिभूत से अथवा उसके या उनके द्वारा कल्पबद्ध () संपत्ति से तुरन्त वसूली योग्य होगा,

(७) उधार राजस्थान एग्रिकल्चरल लोन्स एकट, 1956 (राजस्थान एकट १, सन् 1957) की धारा ७ के प्रावधानों के अनुकरण में वसूली योग्य होगा।

उधार देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर,
तारीख सहित।

मैंने पूर्वोक्त निर्बंधों और शर्तों को समझ लिया है और स्वीकार कर लिया है (और उनको यथोचित पूति के लिये, मैं एतद्वारा निम्नलिखित संयुक्त कल्पबद्ध करता हूँ)।

उधारग्रहीता के हस्ताक्षर,
तारीख सहित।

साक्षी _____

पहली किट्ठत के —————— ह० नकद मेरी उपस्थिति में दिये गये। भुगतान आज मेरी उपस्थिति में सौंपी।

अधिकारी के हस्ताक्षर, तारीख सहित।

प्रतिदान की तारीखें, स्थानीय परस्थितियाँ और लगानों व राजस्व के भुगतान की तारीखों के देखते हुए नियत की जानी चाहियें।

कोष्ठकों के शब्द काट दिये जायं यदि कोई अन्य व्यक्ति प्रतिभूति दे।

(प्रतिभूति बन्ध-पत्र बैसा ही होगा जैसा कि प्रपत्र ४ के लिये है)

प्रपत्र संख्या ६

(देखिये नियम 46)

प्रपत्र	वसूली की स्लिप	तहसील
क्रम संख्या	लेजर फोलिओ संख्या	
लेखा	श्री	बलद
जाति		गांव
धन्धा	उधार की राशि और प्रकार	
उधार का प्रयोजन		
लेखा शीर्षक		

वसूली की किट्ठते नीचे दी हुई हैं—

वसूलियाँ	देय होने की तारीख	वास्तव में दी गई राशि	तारीख	तहसीलदार के संक्षिप्त हस्ताक्षर
मूलधन	ब्याज			
— 1	2	3	5	6

प्रपत्र संख्या 7

(देखिये नियम 57)

राजस्थान सरकार

(राजस्व विभाग)

तकाली अग्रिमों का रजिस्टर

तकाली का प्रकार

जिला

तहसील

गांव

आवेदन-पत्र उद्धार संख्या की तारीख	उद्धारग्रहीता का नाम और पता, अन्य आवश्यक व्यौरा सहित	मंजूर किये गये उद्धार की राशि, मंजूरी की आज्ञा की तारीख सहित	किस उद्देश्य व्याज या कार्य के की दर लिये	तारीख जिस प्रतिभूति तक कि कार्य का पूरा किया व्यौरा जाना है	दिये गये अग्रिम भुगतान की राशि तारीख				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

वसूलियों की किश्तें	की गई वसूलियां	प्रत्येक व्यवहार	बकाया किश्तों	दिनों की व्याज की प्रति- संख्या गणना करने के ब्याज	देय हुआ व्याज का अभ्युक्तियां									
संख्या प्रत्येक किश्त योग्य की होने की राशि की तारीख	तारीख मूलधन व्याज कुल पश्चात् मूलधन का शेष	के की पश्चात् क्रमिक राशि नहीं चुकाई गई	जब तक किश्तें 19 और स्तम्भ 18 व राशि 20 का उत्पाद (प्रोडक्ट)	व्याज की स्तम्भ 18 व राशि 20 का उत्पाद (प्रोडक्ट)	प्राप्त व्याज का शेष									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

प्रपत्र संख्या ४

(देखिये नियम ५७)

उधार लेखा का सारांश

प्राप्तियां

नाम	उधार लेखे की पृष्ठ संख्या	मूलधन का प्रारम्भिक शेष	अप्रैल मई	जून	जून तक कुल राशि	जुलाई अगस्त	अगस्त कुल राशि	सितम्बर तक कुल राशि	सितम्बर तक लिये कुल राशि	सितम्बर तक कुल राशि	नवम्बर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

दिसम्बर राशि	दिसम्बर तक कुल लिये कुल राशि	दिसम्बर तक महीनों के लिये कुल राशि	जनवरी	फरवरी	मार्च	मार्च तक कुल राशि	वर्ष की कुल प्राप्तियां	प्रतिदानों के सारांश के अनुसार कुल वसूलियां	31-३ के अन्त में मूलधन का शेष
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

प्रवत्र संख्या ९

(देखिये नियम ५७)

वस्तुलियों का सारांश (केवल मूलधन)

नाम	उथार लेखे की पृष्ठ संख्या	
अप्रैल		
मई		
जून		
योग जून तक		
जुलाई		
अगस्त		
सितम्बर		
तिमाही का योग		
सितम्बर तक पहाँ-बर्ष का योग		
अक्टूबर		
नवम्बर		
दिसम्बर		
तिमाही का योग		
दिसम्बर तक के लिये नी गहीने का योग		
जनवरी		
फरवरी		
मार्च		
मार्च तक कुल वस्तुलियाँ		
कुल वर्ष की राशि		

प्रपत्र संख्या 10

(देखिये नियम 61)

वर्ष 19..... को तिमाही के लिये तकावी उधारों (परिव्यय और वसूली) का लेखा
जिला लेखा शीर्षक

उहसील का नाम	को बकाया राशि	चालू तिमाही के दौरान में दिया गया उधार	वसूली			कोषागार-अधिकारी के प्रयोग के लिये (उसके लेखे के अनुसार अंक)				
			वसूली योग्य कुल राशि	चालू वर्ष के दौरान में वसूली किये गये उधार	वर्ष की पूर्ववर्ती तिमाहियों के दौरान में की गई वसूली	को बकाया राशि	चालू तिमाही के दौरान में को बकाया राशि	चालू तिमाही के दौरान में कुल परिव्यय	चालू तिमाही के दौरान में कुल वसूली	कोषागार अधिकारी के संक्षिप्त हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रयत्र संख्या 11

(देखिये नियम 66)

31 मार्च/30 सितम्बर 197 को समाप्त होने वाले अर्द्ध-वर्ष के लिए जिले में तहसील के लिए

के अधीन भाँग विवरण-पत्र

क्रम संख्या		वसूली योग्य भाँग						वसूलियो							
1	2	उधार-सूची रजिस्टर	उधारप्रहीता का नाम	नियास-स्थान	बकाया	देय किश्तें	कुल राशि	तारीख	कुल भूगतान	मूलधन	द्याज	अर्द्ध-वर्ष के अन्त में शेष	कुल शेष जो देय रहा	(क) निश्चित किश्तों का अधिक्षम भूगतान	(ख) अधिक भूगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		813

परिशिष्ट संख्या 16

(अनु सं० 212)

सामयिक विवरण-पत्र

क—तहसील से प्रेषित किये जाने वाले विवरण-पत्र

क्रमांक	नाम विवरण-पत्र	प्रपत्र रांगे०सं०	मासिक/वैमा- सिक/अद्व- वार्षिक/ वार्षिक	प्रेषिति अधिकारी	अनुच्छेद संख्या	प्रेषण हेतु निर्धारित तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दैनिक भू-राजस्व प्राप्तियों का विवरण-पत्र	7	मासिक	जिलाधीश	67	प्रतिमाह 3 तारीख	
2.	दैनिक विविध (भू-राजस्व के अतिरिक्त अन्य भद) का विवरण-पत्र	8	मासिक	जिलाधीश	67	प्रतिमाह 3 तारीख	
3.	भू-राजस्व अभियाचन संग्रह एवं अवशेष विव- रण-पत्र	12	मासिक	जिलाधीश	67	प्रतिमाह 10 तारीख	माह मार्च का विव- रण-पत्र 30 अप्रैल तक भेजा जा सकेगा।
4.	भू-राजस्व अवशेषों का वर्गीकरण	12(क)	मासिक	जिलाधीश	68	प्रतिमाह 10 तारीख	माह मार्च का विवरण- पत्र 30 अप्रैल तक भेजा जा सकेगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
5. भू-राजस्व के बकाया अभियाचनों में कमी व बमूली प्रगति का विवरण-पत्र	12(ग)	मासिक	जिलाधीश	69	प्रतिमाह 10 तारीख	माह मार्च का विवरण- पत्र 30 अप्रैल तक भेजा जा सकेगा।	
6. सिचाई कर एवं सुधर कर अभियाचन संग्रह एवं अवशेष विवरण-पत्र	12	मासिक	जिलाधीश	71	प्रतिमाह 10 तारीख	माह मार्च का विवरण- पत्र 30 अप्रैल तक भेजा जा सकेगा।	
7. विविध मांग भू-राजस्व की सूची अनुच्छेद में वर्णित सूची- वार	अनुच्छेद में वर्णित सूची- वार	मासिक	जिलाधीश	31(8)	प्रतिमाह 10 तारीख		
8. भूमि विक्रय/प्रावंटन निरस्त आदेशों की सूची	22	मासिक	जिलाधीश	120(3)	प्रतिमाह 3 तारीख		
9. भूमि विक्रय/प्रावंटन निरस्त की बहाली -के आदेशों की सूची	23	मासिक	जिलाधीश	120(3)	प्रतिमाह 3 तारीख		
10. राजकीय भूमि विक्रय/प्रावंटन पूरक मांग विवरण-पत्र	24 (क)	मासिक	जिलाधीश	22	प्रतिमाह 3 तारीख		
11. राजकीय भूमि विक्रय/प्रावंटन मूल्य की प्राप्तियों का विवरण-पत्र	5	मासिक	जिलाधीश	123(2)	प्रतिमाह 3 तारीख को		
12. राजकीय भूमि विक्रय/प्रावंटन मूल्य के मांग संग्रह अवशेष का विवरण-पत्र	27	मासिक	जिलाधीश	123(6)	प्रतिमाह 3 तारीख को		
12- क. राजकीय भूमि विक्रय/प्रावंटन चालू वर्ष में होने के फलस्वरूप पूरक मांग विवरण-पत्र	24 (क)	मासिक	जिलाधीश	122	प्रतिमाह 3 तारीख को		

13. विभिन्न तकाबी क्रूणों की दैनिक वसूली विवरण-पत्र	39	मासिक	जिलाधीश	179 प्रतिमाह 5 तारीख को
14. तकाबी सूद का दैनिक वसूली विवरण-पत्र]	40	मासिक	जिलाधीश	179 प्रतिमाह 5 तारीख को
15. विभिन्न तकाबी अभियाचन संग्रह एवं अवशेष का विवरण-पत्र	41	मासिक	जिलाधीश	186 प्रतिमाह 5 तारीख को
16. तकाबी क्रूण वितरण वसूली का मासिक विवरण-पत्र	42	मासिक	जिलाधीश	186 प्रतिमाह 5 तारीख को
17. पंचायत समिति तकाबी मांग संग्रह अवशेष का विवरण-पत्र	43	मासिक	जिलाधीश	194 प्रतिमाह 5 तारीख को
18. लघु भूमि खण्डों के विक्रय/आवंटन का वैमासिक विवरण-पत्र	31	वैमासिक	जिलाधीश (आवंटन अधिकारी)	131 तिमाही समाप्ति के अगले मास की 5 तारीख को
19. लोक अभियाचना भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली मामलों का विवरण-पत्र	34	वैमासिक	जिलाधीश	138 तिमाही समाप्ति के अगले मास की 5 तारीख को
20. राजस्व हानि एवं न्यून प्राप्तियों का विवरण-पत्र	52	वैमासिक	जिलाधीश	240 तिमाही समाप्ति के अगले मास की 5 तारीख को
21. निलम्बित/स्थगित राशियों का विवरण-पत्र 12(क) 1		ग्रन्द-वार्षिक	जिलाधीश	68 3 अक्टूबर व 30 अप्रैल को क्रमांक 3 के साथ

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	छूट के लिए प्रस्तावित रकमों का विवरण-पत्र	12 (क) 2	अर्द्ध-वार्षिक	जिलाधीश	68	3 अक्टूबर व 30 अप्रैल को क्रमांक 3 के साथ	
23.	अपलेखन के लिए प्रस्तावित रकमों का विव- रण-पत्र	12 (क) 3	अर्द्ध-वार्षिक	जिलाधीश	68]	3 अक्टूबर व 30 अप्रैल को क्रमांक 3 के साथ	
24.	सरकारी विभागों में बकाया रकमों का विव- रण-पत्र	12 (क) 4	अर्द्ध-वार्षिक	जिलाधीश	68	3 अक्टूबर व 30 अप्रैल को क्रमांक 3 के साथ	
25.	भूतपूर्व जागीरदारों के मुआवजे से समायोजन होने वाली रकमों का विवरण-पत्र	12 (क) 5	अर्द्ध-वार्षिक	जिलाधीश	68	3 अक्टूबर व 30 अप्रैल को क्रमांक 3 के साथ	
26.	भू-राजस्व अवशेषों की वार्षिक विभात का विवरण-पत्र	12 (ख)	वार्षिक	जिलाधीश	69	30 अप्रैल को क्रमांक 3 के साथ	
27.	भू-राजस्व स्थाई मांग को किशत बंदी	1	वार्षिक	जिलाधीश	15	31 मार्च	
28.	ग्रामवार अस्थाई भू-राजस्व मांग विवरण-पत्र	3	वार्षिक	जिलाधीश	25	15 मई	
29.	सरचार्ज निर्धारण की ग्रामवार सूची	10	वार्षिक	जिलाधीश	43	15 अप्रैल	

30. अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि का मांग विवरण-पत्र	11	वार्षिक	जिलाधीश 66 (4)	15 अप्रैल
31. नामान्तरकरण शुल्क की मांग का विवरण-पत्र अनुच्छेद में वर्णित सूची पर		वार्षिक	जिलाधीश 34	30 सितम्बर
32. पटवार मण्डलवार भू-राजस्व बकाया का विवरण-पत्र	13	वार्षिक	जिलाधीश 72	30 अप्रैल
33. भू-राजस्व के अपलेखन व कमी के मामलों का] वार्षिक विवरण-पत्र	18	वार्षिक	जिलाधीश 115	30 अप्रैल
34. राजकीय भूमि विक्रय /आवंटन मूल्य की वार्षिक-मांग का विवरण-पत्र	24	वार्षिक	जिलाधीश 122	15 अप्रैल
35. गंगनहर क्षेत्र में मालकाना खरीददारी की वार्षिक मांग का विवरण-पत्र	28	वार्षिक	जिलाधीश 128(1)	15 अप्रैल
36. विभिन्न तकावी कृषणों की मांग का विवरण- पत्र प्रपत्र सं० 11 वार्षिक तकावी नियमों के अनुसार		वार्षिक	जिलाधीश 180	15 अप्रैल
37. आय-व्ययक अनुमान (परिशिष्ट सं० 14 में वर्णित शीर्षकों के)	जी० ए० 3	वार्षिक बजट मेन्यु - अल	जिलाधीश 161	15 सितम्बर
38. ध्यौरा राजस्व के प्राप्ति का जिनकी आयिक वर्ष में होने की आशा है	जी०ए० 7	वार्षिक	जिलाधीश 161	प्रथम सप्ताह माह फरवरी

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

ख-जिला कार्यालय से प्रेशित किये जाने वाले विवरण-पत्र

1. भू-राजस्व शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्तियों का विवरण-पत्र	45	मासिक	राजस्व मण्डल	210	प्रत्येक माह की 15 तारीख को		
2. अन्य आय शीर्षकों की प्राप्तियों के विवरण-पत्र	45	मासिक	संबंधित नियंत्रण अधिकारी/ विभागाध्यक्ष	211	प्रत्येक माह की 15 तारीख को	प्रत्येक आय शीर्षक के मानचित्र पृथक पृथक तैयार किये जावेंगे	
3. वैपौरा राजस्व व अन्य प्राप्तियों के जी०ए० 15 अशुद्ध लेखों का जितका संशोधन होना है	15	मासिक	जिला कोषाधिकारी	208	प्रत्येक माह की 15 तारीख को	आवश्यकतानुसार	६
4. भू-राजस्व अभियाचन संग्रह एवं अवशेष, विवरण-पत्र	12	मासिक	राजस्व मण्डल	212	प्रत्येक मास की 20 तारीख को	माह मार्च का विवरण 20 मई तक भेजा जावेगा	
5. भू-राजस्व अवशेषों का वर्गीकरण	12 (क)	मासिक	राजस्व मण्डल	212	प्रत्येक मास की 20 तारीख को	माह मार्च का विवरण 20 मई तक भेजा जावेगा	
6. भू-राजस्व के बकाया अभियाचनों में कमी की वसूली प्रगति का विवरण-पत्र	12(ग)	मासिक	राजस्व मण्डल	212	प्रत्येक मास की 20 तारीख को	माह मार्च का विवरण 20 मई तक भेजा जावेगा	

7. सिचाई कर एवं सुधार कर अभियाचन संग्रह एवं अवशेष विवरण-पत्र	12	मासिक	1. राजस्व मण्डल 2. मुख्य अभियन्ता, सिचाई विभाग	123(6)	प्रत्येक मास की 20 तारीख को	माह मार्च का विवरण 20 मई तक भेजा जावेगा
8. राजस्वीय भूमि विक्रय/आवंटन मूल्य के मांग संग्रह अवशेष का विवरण-पत्र	27	मासिक	1. राजस्व मण्डल 2. उपनिवेशन विभाग, जयपुर	123(6)	प्रत्येक मास की 20 तारीख को	
9. विभिन्न तकावी ऋणों की वसूली का मासिक विवरण-पत्र	45	मासिक	राजस्व मण्डल संबंधित नियंत्रण अधिकारी	212	प्रत्येक मास की 15 तारीख को	
10. तकावी सूद वसूली का मासिक विवरण-पत्र	45	मासिक	राजस्व मण्डल नियंत्रण अधिकारी	212	प्रत्येक मास की 15 तारीख	
11. विभिन्न तकावी/अभियाचन संग्रह अवशेष का मासिक विवरण-पत्र	41	मासिक	राजस्व मण्डल नियंत्रण अधिकारी	212	20 तारीख	

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	तकावी क्रण वितरण व वसूली का मासिक विवरण-पत्र	42	मासिक	राजस्व मण्डल, नियंत्रण अधिकारी	212	20 तारीख	
13.	पंचायत समिति तकावी मांग संग्रह अवशेष का विवरण-पत्र	43	मासिक	1. राजस्व मण्डल	212	20 तारीख	
				2. विकास आयुक्त			
14.	लोक अभियाचन भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली मामलों का विवरण-पत्र	34	द्वैमासिक	राजस्व मण्डल	212	20 तारीख अप्रैल, जूलाई, अक्टूबर, जनवरी	६५
15.	राजस्व हानि व न्यून प्राप्तियों का विवरण-पत्र	52	द्वैमासिक	राजस्व मण्डल	212	20 तारीख अप्रैल, जूलाई, अक्टूबर, जनवरी	
16.	निलम्बित/स्थगित राशियों का वि वरण-पत्र	12(क) 1	अर्द्ध-वार्षिक	राजस्व मण्डल	212	20 अक्टूबर व 20 मई क्रमांक 4 के साथ	

17. छूट के लिये प्रस्तावित रकमों का विवरण-पत्र	12 (क) 2	अद्वा॑षिक	राजस्व मण्डल	212	20 अक्टूबर व 20 मई क्रमांक 4 के साथ
18. अपलेखन के लिये प्रस्तावित रकमों का विवरण-पत्र	12 (क) 3	अद्वा॑षिक	राजस्व मण्डल	212	20 अक्टूबर व 20 मई क्रमांक 4 के साथ
19. सरकारी विभागों में बकाया रकमों का विवरण- पत्र	12(क) 4	अद्वा॑षिक	राजस्व मण्डल	212	20 अक्टूबर व 20 मई क्रमांक 4 के साथ
20. भूतपूर्व जागीरदारों के मुआवजे से समायोजन होने वाली रकमों का विवरण-पत्र	12 (क) 5	अद्वा॑षिक	राजस्व मण्डल	212	20 अक्टूबर व 20 मई क्रमांक 4 के साथ
21. भू-राजस्व अवशेषों की वार्षिक विगत का विवरण-पत्र	12 (ख)	वार्षिक	राजस्व मण्डल	212	20 मई क्रमांक 4 के साथ
22. जिला राजस्व लेखाकार द्वारा किये गये निरीक्षणों का वार्षिक विवरण-पत्र	49	वार्षिक	राजस्व मण्डल	237	10 अप्रैल
23. भू-राजस्व के अपलेखन व कमी के मामलों का वार्षिक विवरण-पत्र	जी० ए० १६	वार्षिक	महालेखाकार	116	30 जून

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

24. आय-व्ययक अनुमान (परिशिष्ट सं० 14
में वर्णित शेषकों के) जी० ए० 6 वार्षिक 1. विभागीय 161 30 सितम्बर

अध्यक्ष
2. प्रशासनिक
विभाग, राज्य
सरकार

25. व्यौदा राजस्व के प्राप्ति का जिनकी आर्थिक जी० ए० 7 वार्षिक 1. विभागीय 161 द्वितीय सप्ताह
वर्ष में होने की आशा है 2. प्रशासनिक
विभाग,
राज्य
सरकार

परिशिष्ट संख्या 17 (1)

[अनुच्छेद सं० 221]

(1)

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग) विभाग

क्रमांक: प० 7(44) राज०/ग/68

जयपुर, दिनांक 5 अक्टूबर, 1968

आज्ञा

भू-राजस्व की समय पर एवं सुव्यवस्थित ढांग पर वसूली के लिए पटवारी वर्ग को उत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने निम्ननिखित पारितोषिक देने का निर्णय लिया है:—

पारितोषिक दी जाने वाली रकम
1. बकाया तथा चालू वर्ष में वसूली योग्य भू-राजस्व की 100 प्रतिशत वसूली के लिए
2. बकाया तथा चालू वर्ष में वसूली योग्य भू-राजस्व में से प्रत्येक की 95 प्रतिशत वसूली के लिये
3. बकाया तथा चालू वर्ष में वसूली योग्य भू-राजस्व में से प्रत्येक की 90 प्रतिशत वसूली के लिए

उपरोक्त पारितोषिक सम्बन्धित जिलाधीश की सिफारिश पर अध्यक्ष, राजस्व मण्डल द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

इस प्रयोजन हेतु चालू वित्तीय वर्ष में व्यय आय-व्ययक शीर्षक 9-भू-राजस्व प-भू-अभिलेख (2) जिला व्यय—प्रशिक्षण विद्यालयों के अतिरिक्त जिला व्यय-3-अन्य व्यय से किया जा सकता है। इस मद के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार राशि पुनःनियोजन या पूरक मांग द्वारा जैसी भी स्थिति हो चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्राप्त की जावेगी।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति संख्या 3529/पी-ए/एफ०सी०/ई०/69, दिनांक 4-9-68 के अन्तर्गत प्रचलित की जाती है।

ह० गनपतराय,
उप-शासन सचिव।

प्रतिलिपि:—

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर को उनके अ० शा० पत्र संख्या 20120, दिनांक 28-8-68 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिलाधीश।
4. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ह० गनपतराय,
उप-शासन सचिव।

(2)

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग) विभाग

क्रमांक : प० ७ (४४) राज०/ग/६८

जयपुर, दिनांक ९ दिसम्बर, १९६८

संशोधन-पत्र

भू-राजस्व की वसूली के लिये पटवारियों को पारितोषिक देने सम्बन्धी इस विभाग की समस्त आज्ञा दिनांक ५-१०-६८ के द्वितीय पेश के स्थान पर निम्न प्रकार से पढ़ा जायः—

“उपरोक्त पारितोषिक सम्बन्धित जिलाधीश द्वारा स्वीकृत किया जावेगा”।

यह आज्ञा वित्त विभाग की सहमति से प्रबलित की जाती है जो कि उनके अ० शा०टी०प०स० २३४८, दिनांक २८-११-६८ द्वारा प्राप्त हुई है।

ह० गनपतराय,
उप-राजस्व सचिव।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. वित्त विभाग (ब्यय-२) एक अतिरिक्त प्रति सहित।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर को उनके अ० शा०प०स० संख्या २५७२८, दिनांक २३-१०-६८ के सन्दर्भ में।
3. समस्त जिलाधीश।
4. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।

ह० गनपतराय,
उप-राजस्व सचिव।

(3)

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग) विभाग

क्रमांक : प० ७ (४४) राज०/ग/६८

जयपुर, दिनांक १५-१-७०

आज्ञा

भू-राजस्व की समय पर एवं सुव्यवस्थित ढंग से वसूली के लिये पटवारी वर्ग को उत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने आज्ञा संख्या प० ७ (४४) राज०/ग/६८, दिनांक ५-१०-६८ के द्वारा पारितोषिक वितरण लिया था। सुव्यवस्थित ढंग से निर्धारित मात्रा में भू-राजस्व वसूली करने वाले पटवारी वर्ग को उत्साहित करने के प्रश्न पर निर्णय लिये जाने के पश्चात् राज्य सरकार के पास यह भी विचाराधीन था कि भू-राजस्व की वसूली में हील बरतने वाले पटवारी

वर्ग एवं अन्य अधिकारीगणों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाय। इस प्रश्न परराज्य सरकार ने विचार कर निर्णय लिया है कि—

1. ऐसे पटवारी वर्ग,
 2. भू-अभिलेख निरीक्षक,
 3. नायब-तहसीलदार व
 4. तहसीलदार।

कि जो भू-राजस्व की हाल की जमा कायमी का 95 प्रतिशत एवं बकाया का 65 प्रतिशत वसूली नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय। अतः निर्देशानुसार निवेदन है कि राजस्व वर्ष की समाप्ति पर भू-राजस्व की वसूली के आंकड़ों की जांच कर निर्धारित मात्रा से कम वसूली करने वाले पटवारी वर्ग एवं अन्य अधिकारीगण के विरुद्ध तुरन्त अनुशासनात्मक कार्यवाही चालू की जाय एवं सम्बन्धित अधिकारी वर्ग के जवाब लिये जायें एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उचित दण्ड दिया जाय।

ह० गनपतराय,
उप-राजस्व सचिव ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
 2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर ।
 3. समस्त जिलाधीश ।
 4. भू-प्रबन्ध आयोषत, राजस्थान, जयपुर ।

ह० गगपतराय,
उप-राजस्व सचिव ।

(4)

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग) विभाग

क्रमांक: प० ७ (४४) राज०/ग/६८

जयपुर, दिनांक 2-5-70

विषयः—पटवारियों को पारितोषिक देने बाबत

सन्दर्भ:—इस विभाग की सम संख्यक आज्ञा दिनांक 5-10-68।

प्रासंगिक आदेश के प्रथम पैरा को निम्नांकित द्वारा प्रस्थापित करने की राज्यपाल महोदय आशा प्रदान करते हैं:—

भू-राजस्व की समय पर एवं सुध्यवस्थित ढंग से बसूली के लिये पटवारी वर्ग को उत्साहित करने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय निम्नलिखित पारितोषिक देने की आज्ञा घोषित करते हैं :—

वसली का विस्तर

पारितोषिक में दा
जाने वाली राशि

1. चालू वर्ष की माँग तथा वसूली योग्य बकाया भू-राजस्व में से प्रत्येक की 100 प्रतिशत वसूली के लिए ३० ५०.००

2. चालू वर्ष की मांग तथा वसूली योग्य बकाया भू-राजस्व में से प्रत्येक की 95 प्रतिशत वसूली के लिए	रु. 30.00
3. चालू वर्ष की मांग तथा वसूली योग्य बकाया भू-राजस्व में से प्रत्येक की 90 प्रतिशत वसूली के लिये ।	रु. 20.00

आदेश से
हॉ. गनपतराय,
उप-राजस्व सचिव ।

प्रतिलिपि:—

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
3. समस्त जिलाधीश ।
4. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर ।

हॉ. गनपतराय,
उप-राजस्व सचिव ।

(5)

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग) विभाग

क्रमांक: प० २ (44) राज०/ग/68

जयपुर, दिनांक 5-1-71

विषय:—भू-राजस्व पर ढील बरतने के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही ।

सन्दर्भ:—इस विभाग की सम संख्यक आज्ञा दिनांक 15-1-70 ।

निर्देशानुसार निवेदन है कि प्रासंगिक आज्ञा में जमा कायमी का 95 प्रतिशत को जमा कायमी का 90 प्रतिशत पढ़ा जावे ।

हॉ. गनपतराय,
उप-राजस्व सचिव ।

प्रतिलिपि:—

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर ।
3. समस्त जिलाधीश ।
4. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर ।

हॉ. गनपतराय,
उप-शासन सचिव ।

सूची महत्वपूर्ण विज्ञप्तियां एवं सरकारी आदेश

- I. वसूली प्रारम्भ करने की तिथियां (पत्र सं० एल०ग्राह०/सी०/कन०/1193, दिनांक 5-9-54, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर ।

2. विज्ञप्ति राजस्व (ख) विभाग, जयपुर, सं० एफ० 6 (63) रेव०/बी/जन/1/61, दिनांक 13-9-1961 भू-राजस्व अधिनियम के अध्याय 10 के अतिरिक्त जिलाधीश की शक्तियां उप-जिलाधीश द्वारा प्रयोग करने के विषय में।
3. संख्या एफ० 4 (142) रेव०/बी/59, दिनांक 17-8-62 तहसील दूड़ में कुडिलयां एवं छापा गांवों में तालाब भूमि (Tank Bed) में काश्त के लगान की वसूली।
4. संख्या एफ० 6 (38) रेव०/बी०/ग्रुप-1/63, दिनांक 29-5-63 भू-राजस्व की बकाया पर ब्याज वसूली।
5. संख्या एफ० 6 (84) राज०/ख/61, दिनांक 19-6-63 म्यूटेशन फीस की वसूली।
6. संख्या एफ० 6 (34) राज०/ख/ग्रुप-1/63, दिनांक 12-11-63 अनधिकृत एवं अकृष्ट सरकारी भूमियों के प्रथम बार कृषि हेतु आवंटित होने पर लगान वसूल करने का प्रश्न।
7. राजस्व (ग) विभाग, पत्र संख्या एफ० 6 (34) रेव०/सी/64/जन/1, दिनांक 25-8-64 तकावी की किस्तों के चूक होने पर दण्डित ब्याज न लेने के विषय में।
8. अधिसूचना सं० एफ० 6 (76) रेव०/बी/66, दिनांक 23-9-66 भू-राजस्व अधिनियम की धारा 134 के अन्तर्गत अर्थदण्ड से दण्डित करने की शक्ति तहसीलदारों के दिये जाने के संबंध में।
9. राजस्व (ख) विभाग एफ० 6 (25) राज०/ख/64, दिनांक 24-2-68 अधिभार की वसूली के संबंध में।
10. राजस्व (ख) विभाग एफ० 6 (67) राज०/ख/66, दिनांक 30-12-69 राजकीय भूमि राजकीय विभागों को अलाट करने पर भुआवजा की रकम दिये जाने के संबंध में।
11. राजस्व (ख) विभाग पत्र संख्या मा० (6) (2) राज०/ख/71, दिनांक 25-2-71 सरचार्ज वसूली स्थगित करने के संबंध में।
12. अवर सचिव, राजस्व(ग्रुप 4) विभाग, राजस्थान, जयपुर पत्र सं० एफ० 14(6) रा०म० ल०/रेमी०/71, चाही भूमि पर सरचार्ज कायम करने के संबंध में।
13. राजस्व (ख) विभाग पत्र सं० एफ० 6 (67) राज०/ख/71, दिनांक 10-12-71 चरनोट भूमि में नाजायज कब्जों से प्राप्त पैनलटी रकम की सुपुदंगी।
14. राजस्व (ग्रुप 5) विभाग पत्र संख्या एफ० 6 (67) राज०/ख/61, दिनांक 9-5-71 चरनोट भूमि में नाजायज कब्जों से प्राप्त पैनलटी की रकम का पंचायतों को हस्तान्तरण।
15. राजस्व (ग्रुप 4) विभाग पत्र सं० एफ० 6 (67) राज०/ख/71, दिनांक 24-7-72 चरागाह भूमि में अतिक्रमण से बोदखली से होने वाली आय पंचायतों को देने बाबत स्पष्टीकरण।

Copy of letter No. L.R./C./Con./1193, dated 5-9-54 from the Secretary, Board of Revenue (L.R.) for Rajasthan, Jaipur to the Commissioner, Jaipur Division, Jaipur.

Subject:—Extract from the proceedings of the meeting of Collectors of Jaipur Division.

Reference:—Your letter No. 3557/CI (837), dated 9-8-1954.

I am directed to convey sanction to commence the rental collection from 1st June (Rabi) and 15th November (Kharif) as at present and further to authorise the Collectors to fix a date within a fortnight from the said dates.

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (B) DEPARTMENT
NOTIFICATION**

No. F. 6 (63) Rev./B/Gr. I/61.

Jaipur, September 13, 1961.

In exercise of the powers conferred by clause (h) of section 210 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) the Government of Rajasthan is hereby pleased to direct that the duties imposed and powers conferred as the Collector by Chapter X, if that Act shall be performed and exercised, in relation to recovery of sums of money mentioned in section 256 of the said Act, by the Sub-Divisional Officers.

[संख्या एफ० 4 (142) रेव०/बी/51, जयपुर, दिनांक 17 अगस्त, 1962]

विषय:—तहसील दूँह में कुन्डलिया एवं छापा गांवों में तालाब भूमि (Tank Bed) में काश्त के लगान की वसूली।

संदर्भ:—आपके ज्ञापन संख्या एस०सी०आर०ए०एस०टी० 1452, दिनांक 14-6-61।

निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त प्रश्न सरकार द्वारा विचार किया गया था और यह विनिश्चय किया गया है कि ऐसी अवधि के लिये जिसके दौरान भूमियां जलमान रहीं, निर्धारित भू-राजस्व या लगान का केवल 25 प्रतिशत वसूल किया जाय तथा निर्धारित पूर्ण रकम केवल उस अवधि के लिये वसूल की जाय जिसके दौरान भूमि में वस्तुतः काश्त की गई हो।

2. यह दरें केवल ऐसे क्षेत्रों पर ही लागू होंगी जहां बन्दोबस्त के समय कोई दरें निश्चित नहीं की गई हों।

3. उक्त विनिश्चय सम्पूर्ण राजस्थान पर लागू होगा।

[संख्या एफ० 6(38) रेव०/बी/प्र० 1/63, जयपुर दिनांक 29 मई, 1963]

विषय:—भू-राजस्व की बकायाओं पर ब्याज की वसूली।

इस बात के लिये संशय प्रगट किया गया है कि किस अवधि के लिये, राजस्व या लगान की किसी किस्त पर ब्याज वसूल किया जाय जबकि वह राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 (एक्ट संख्या 3, सन् 1955) की धारा 152 के अधीन “बकाया” हो जाय और क्या प्रासादी पटवारियों द्वारा “डिमांड स्टेप” जारी नहीं की जाने पर भी ब्याज का भुगतान करने के भागी होंगे।

2. धारा 152 के अधीन लगान की कोई भी किस्त जिसका भुगतान, उसके देय हो जाने के दिन उसके पूर्व नहीं किया गया है, उस दिन के आगामी दिन से जिस दिन वह देय हो गई, बकाया हो जायेगी और आसामी तदुपरान्त बकाया पर एक आना प्रति रुपया प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज देने का भागी होगा। खरीफ और रबी फसलों के लिये सरकार को देय राजस्व या लगान की किस्तों का भुगतान किये जाने हेतु तारीख, जैसाकि विज्ञप्ति संख्या एफ०/६(५३)रेव/बी०/५९, दिनांक २६-११-५९द्वारा निर्धारित है, क्रमशः १ फरवरी और १ जुलाई है। कोई राशि जिसका उपर्युक्त तारीख के पश्चात् भुगतान किया जाय, बकाया हो जायेगी और उस पर टिनेसी एकट की धारा 152 में निर्धारित दर से ब्याज वसूल किया जायेगा। ब्याज के बल उस दिन से वसूली योग्य होगा, जिस दिन से लगान "बकाया" हो जाता है, न कि समस्त वर्ष के लिये।

3. लगान की किस्तों के भुगतान हेतु निश्चित तारीखें भलीभांति विदित हैं और सरकार ने उपर्युक्त विज्ञप्ति द्वारा दो तारीखें निश्चित की हैं। अतः समस्त आसामियों को उन तारीखों जिनको उनके लगान की किस्त देय हो की सम्पूर्ण जानकारी होनी चाहिये और उन्हें निश्चित तारीखों को या उसके पूर्व इस बात की परवाह न करते हुये उसके द्वारा "डिमांड स्लिप" प्राप्त की गई है या नहीं, किस्तों का भुगतान कर देना चाहिये। इसलिये आसामी इस कारण से ब्याज देने के अपने दायित्व से बच नहीं सकते कि उनके द्वारा "डिमांड स्लिप" प्राप्त नहीं की गई थी। फिर भी यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये कि "डिमांड स्लिप" समस्त आसामियों को अवश्यमेव जारी की जायें जैसा कि नियमों में उल्लिखित है और ऐसे किसी भी राजस्व अधिकारी के विरुद्ध जो इस महत्वपूर्ण कार्य को करने में त्रुटि करता है, कार्यवाही की जानी चाहिये।

4. उन मामलों में जिनमें राजस्व-लगान की बकाया को कुर्की द्वारा वसूल किया जाना प्रस्तावित हों, इस बात को एक बार फिर देख लेना चाहिये कि आसामी को "डिमांड स्लिप" अवश्यमेव सप्लाई कर दी जाय और यदि वह "डिमांड स्लिप" जारी किये जाने पर भी रकम जमा नहीं कराये तो केवल उसी सूत में उसके विरुद्ध कुर्की संवंधी कार्यवाही प्रारम्भ की जानी चाहिये उपर्युक्त बात सर्वथा ध्यान में रखी जानी चाहिये ताकि कृषकों को कष्ट न हो।

5. अतः निर्देशानुसार निवेदन है कि उपर्युक्त निर्देशों की ओर आप अपने अधीनस्थ सब-डिविजनल ऑफिसरों, तहसीलदारों आदि का ध्यान उनका पूर्णतः पालन करने हेतु आकर्षित करें।

[संख्या एफ०/६(४) राज०/ख०/६१, दिनांक १९ जून, सन् १९६३]

विषय:—स्थूटेशन फीस की वसूली।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके पत्र संख्या ४९३२/रेव०/ दिनांक १-९-६२ के प्रसंग में निर्देशानुसार निवेदन है कि मामले पर पुनः विचार किया गया और यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्वान लैण्ड रेवेन्यू (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, १९५७ के अधीन सरकारी भूमि का आवंटन करने पर वंचिति (अलॉटी) की गैर खातेदार आसामी के रूप में रजिस्टर इंतकाल तथा अन्य वार्षिक रजिस्टरों में प्रविष्टि की जानी चाहिये और फीस की सारणी राजस्वान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकार्ड्स) नियम, १९५७ के भाग १ की परिविष्टि (२) में फीस इंतकाल की दी गई सारणी के "रैयतवारी क्षेत्र" शीर्ष के नीचे पद (५) के अनुसार फीस इंतकाल ६२ न०प० प्रति होल्डिंग की दर से वसूल की जानी चाहिये। जब १० वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् वंचिति खातेदारी अधिकार अंजित करले तो रजिस्टर इंतकाल तथा अन्य वार्षिक रजिस्टरों में दूसरी प्रविष्टि की जानी चाहिये और फीस इंतकाल उक्त परिविष्टि के इन्द्रज (३) के अनुसार अर्थात् एक वर्ष का भू-राजस्व वसूली की जानी चाहिये।

[संख्या एफ० ६(३४) राज०/ख०/ग्र०/१/६३, दिनांक १२ नवम्बर, १९६३]

विषय:—अनधिकृत एवं अकृष्ट सरकारी भूमियों के प्रथम बार कृषि हेतु आवंटित होने पर लगान वसूल करने का प्रश्न।

अनधिकृत एवं अकृष्ट सरकारी भूमियों के प्रथम बार कृषि हेतु आवंटित होने पर लगान वसूल करने के प्रश्न पर कुछ समय पूर्व से सरकार का ध्यान लगा हुआ है। कुछेक मामलों में ऐसी अनधिकृत एवं अकृष्ट भूमि का लगान निर्धारित है जबकि अन्य में लगान निर्धारित नहीं है। यदि किसी भूमि का अभिलिखित भू-वर्ग अकृष्ट है तो भी यदि लगान निर्धारित है तो वह अकृष्ट भूमि की दर से ही निर्धारित है। अनधिकृत एवं अकृष्ट भूमियों का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ किया जाता है। तथा नियमानुसार वंटित से बिना समय गंवाये भूमि पर कृषि करने की अपेक्षा की जाती है। जैसे ही आवंटित अकृष्ट भूमि जोत के नीचे आती है, यह अकृष्ट भूमि समाप्त हो जाती है और कृष्ट भूमि हो जाती है। इसके ऐसा होने से, अकृष्ट भूमि पर लागू लगान की दर से शाये लागू नहीं होती तथा लगान कृष्ट भूमि के निम्नतम वर्ग की लगान दरों से वसूल किया जाना चाहिये। इसका आशय यह है कि यदि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (सर्वे, रेकार्ड्स एवं सेटलमेंट) (गवर्नरमेंट) रूल्स, 1957 के नियम ३९ के (१) के अनुसार यह असिचित अकृष्ट (परत, बंजर अथवा कोई स्थाई अनुरूप) भूमि थी तो बारानी भूमि के निम्नतम वर्ग की दर से, और यदि सिचित अकृष्ट (उदाहरणार्थ, परत चाही, परत नहरी जो कदाचित ही ऐसी हो) भूमि हो तो नहरी के निम्नतम वर्ग की दर से जो ऐसी ही निकटवर्ती कृष्ट भूमि पर लागू हो।

2. कलेक्टरों से निवेदन है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त तहसीलदारों को उपरोक्त दिशा में अनुदेश जारी करें और भूमि आवंटन पर भूमि की किसी तब्दील कराने [राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड्स)] रूल्स, 1957 के पैरा ८६ तथा १६४, पृष्ठ ९९ और जैसे ही भूमि जोत के नीचे आये, तो अब जिस कृष्ट वर्ग में भूमि आती हो, की लगान दर से लागू उपर्युक्त लगान वसूल करने के निर्देश हों, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (श्रलॉटमेंट आफ लैण्ड टू कोआपरेटिव सीसाइटीज) रूल्स, 1959 अथवा अन्य किन्हीं आवंटन नियमों के अधीन भविष्य में भूमि के आवंटन के मामलों में, इस स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये।

3. कृपया इस पंरिपत्र की प्राप्ति सूचना भेजें।

Copy of letter No. F. 6 (34) Rev./C./64/Gr. II, dated 25-8-1964 from the Secretary to the Government Revenue (C) Department, Rajasthan, Jaipur to all Collectors.

Subject:—Realisation of panel interest on taccavi instalment even due.

It has come to the notice of the Government that the panel interest is being charged from the taccavi loan-holders who have failed to deposit the instalments due in time. In this connection attention is invited to the provision of the Rajasthan Agriculture Loans (Taccavi) Rules, 1958 for charging panel interest and rules made thereunder. It is quite clear that there is no specific provision in the Rajasthan Loans Act, 1956 and rules made thereunder to charge panel interest and as such no panel interest can be realised from the loanees who fail to deposit instalment in time.

It is, therefore, enjoined upon all concerned not to charge panel interest from the loanees who fail to deposit the instalments in time.

प्रतिलिपि अधिसूचना संख्या एफ० ६(७६)रेव०/बी/ ६६, दिनांक २३ सितम्बर, १९६६ प्रसारित द्वारा,
श्री एस० डी० उज्जवल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), राजस्व (ख) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, १९५६ (राजस्थान अधिनियम १५, सन् १९५६) की धारा २६० की उपधारा (१) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार, एतद्वारा निर्देश देती है कि ऐसे अर्थदण्ड से दण्डित करने की शक्ति, जो दस रुपये से अधिक न हो, तथा जो उक्त अधिनियम की धारा १३४ द्वारा प्रदान की गई हो, का प्रयोग तुरन्त प्रभाव से, तहसीलदार द्वारा किया जायेगा।

प्रतिलिपि पत्र संख्या एफ० ६(२५) राज०/ख/ ६४, दिनांक २४-२-६८ और से महायक राजस्व सचिव, राजस्व(ख) विभाग, राजस्थान, जयपुर वास्ते निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर एवं प्रति समस्त जिलाधीशों को।

विषयः—प्रधिभार की वसूली।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा पत्र संख्या सम दिनांक १३-७-६६ इस विषय में जारी किया गया था जिसमें अधिभार वसूली के संबंध में सरकार द्वारा कुछ बातों का स्पष्टीकरण किया गया था। किन्तु अधिभार वसूली के सिर्फ़सिले में सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि उक्त पत्र के कारण अधीनस्थ कर्मचारियों को कई प्रकार का भ्रम हो गया है जिसके कारण गंतत रूप में प्रधिभार कायम किया जा रहा है। अतः अधिभार वसूली के प्रश्न पर पुनः विचार किया जाकर निम्ननिवित आदेश प्रसारित किये जाते हैं—

१. उपरोक्त पत्र संख्या सम दिनांक १३-७-६६ रद्द किया जाता है।

२. अधिभार की दर कायम करने के लिये जो प्रावधान सरचार्ज एकट में दिये हैं उनके अतिरिक्त निम्ननिवित बातों का ध्यान रखा जाय तथा अधिभार इसी आधार पर कायम किया जायः—

(क) जिस खाते की जमीन का जंरिये बेचाने, विरासत, बटवारा या किसी अन्य प्रकार से विभाजन हुआ हो और उसका नामान्तरकरण नियमानुसार स्वीकृत हो चुका हो उस भूमि पर अतिम नामान्तरकरण के पश्चात् की स्थिति के अनुसार सरचार्ज कायम किया जाय अर्थात् कुल खाते की रकम पर अधिभार कायम न किया जाय किन्तु नामान्तरकरण के अनुसार कुछ खाते के जितने टुकड़े हो गये हों उन पर ही अधिभार कायम किया जाय।

(ख) इस विषय में यह भी बात ध्यान में रखी जायें कि जहाँ नामान्तरकरण स्वीकृत न हुए हों उन मामलों में सरचार्ज एकट की धारा ३(२) के अनुसार बदस्तूर कार्यवाही की जाये।

राजस्थान सरकार राजस्व (ख) विभाग

प्रति—जिलाधीश बांसवाड़ा,
राजस्थान।

क्रमांक: एफ० ६ (६७) राज० (ख) ६५

जयपुर, दिनांक ३० दिसम्बर, १९६९

विषयः—राजकीय भूमि को राजकीय विभागों को अलौट करने पर मुश्रावजे की रकम लिये जाते के सम्बन्ध में।

संदर्भः—ग्रापका पत्र संख्या एफ० ११ (५०) राज०/ग्र/ ६६-६९, दिनांक ९ मई, १९६९।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आदेशानुसार विस विभाग के आदेश के आवतरण (Extract) सम पत्र के

साथ संलग्न किये जाते हैं। यदि भूमि कोमर्शियल डिपार्टमेंट को दी जाती है तो उसरो मुश्कावजे के रूप में भूमि की कीमत बहुल की जानी है।

भवदीय,
ह० गनपतराय
22/12
उप-राजस्व, सचिव।

प्रतिलिपि (Copy) समस्त जिलाधीश, राजस्वाल को सूचनार्थ प्रेषित है।

ह० विशेषाधिकारी एवं
पदेन सहायक सचिव, राजस्व (ब)।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
(RECOVERY SECTION)

Subject:—*Recovery of Land Revenue from Government Departments.*

During my recent visits to various districts it came to my notice that huge amounts of arrears of land revenue are being shown year after year as recoverable from various Government Departments to whom land has been transferred either for the establishment of an agricultural farm or research station or for construction of building etc. The departments from whom demands are being made are primarily Agriculture Forest and P. W. Departments. Interminable correspondence is going on between the Tehsildars, Collectors, Revenue Department and Finance Department without any decision. It is my view that if the land is transferred to the departments of the State Government the question of recovering any land revenue for it should not arise. There would be hardly any point in making a provision in the budgets of these departments for the payment of land revenue for being credited to the Revenue Department. These will in fact only be paper entries.

It is, therefore, suggested that in exercise of the powers conferred under section 90 (3) of the Rajasthan Land Revenue Act the liability to pay land revenue or rent in respect of such lands as are in the possession of or which may in future be delivered to any department of the State Government. During the discussion you were inclined to agree with me. If such orders could be issued without avoidable delay a very large number of cases which are pending in various districts would be quickly settled and considerable sum of money which are at present included in the arrears of land revenue would be written off".

The proposal of the Chairman was considered in the Finance Department and has been accepted subject to the following :—

- (a) Where land has been given for Urban purposes to any Government Department, Statutory Body or Public Section Company under Companies Act, the Government should be moved to finally approve conversion of Agriculture land into badi with retrospective effect and the demand of L.R. with retrospective effect should be reduced.

Where lands has been given for Agricultural purposes land revenue should continue to be payable by the following:—

- (i) Statutory Bodies like Universities;
- (ii) Central Government Departments, like Suratgarh Farm, Delhi Milk Scheme;
- (iii) State Government Departments which operate on Commercial lines viz. Sheep and Wool Department, Jaipur Milk Scheme.
- (iv) State Government Statutory Bodies, like proposed Wool Board and Agro.-Industries Corporation;
- (v) Central Government Statutory Bodies, like Seed Corporation, Food Corporation etc., and
- (vi) State or Central Government Public Sector Companies under Companies Act or Co-operatives, like Ganganagar Sugar Mills Ltd., Co-op. Sugar Mill etc.

(c) Reduction in demand has to be sanctioned by the Board of Revenue.

राजस्वान सरकार

राजस्व (ख) विभाग

प्रेषिति:—

समस्त जिलाधीश (राजस्वान)।

क्रमांक: प० ६ (२) राज०/ख/७१

जयपुर, दिनांक २५ फरवरी, १९७१

विचाराधीन नामान्तरकरणों को शीघ्र फैसला करने हेतु इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ० ६ (२) राज०/ख/७१, द्वारा अनुरोध किया गया था। नामान्तरकरण कुछ तो ऐसे थे जो नामान्तरकरण पंजिका में पंजियत किये हुये थे परन्तु कुछ ऐसे भी थे कि जो भौजूदा प्रावधानों के अनुसार पंजीयन नहीं किये जा रहे हैं। पंजीयन नहीं किये जाने के मुद्द्य कारण सीलिंग नियम खातों का विभाजन जिससे कि खाते न्यूनतम-निर्धारित क्षेत्र से कम में परिवर्तित होते थे आदि थे, परन्तु अब ऊपर अंकित इस विभाग के परिपत्र के अनुसार इस प्रकार के नामान्तरकरण भी फैसल किये जाने हैं। इस प्रकार के नामान्तरकरणों के फैसल होने में सम्भवतः कुछ समय लगे और नामान्तरकरण फैसल नहीं होने के कारण उन पर सरचार्ज का भार अविभाजित खातों (होल्डिंग) के अनुसार पड़ रहा है। अतः निर्देशानुसार निवेदन है कि जिन मामलों में नामान्तरकरण संबंधी प्रार्थना-पत्र आ चुके हों अथवा अब आ जावे, उन पर तो निर्णय नामान्तरकरण सरचार्ज की बमूली स्थगित कर दी जावे।

है० गंगेपतंराय,
उप-शासन सचिव।

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक प० 6 (20) राज०/ख/67

दिनांक 2 जुलाई, 1972

अवर राविव, (राजस्व) राजस्व (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर निमित निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।

विषय:—चाही भूमि पर सरचार्ज कायम करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय में आपके पत्र क्रमांक प० 14 (6) रामले/रेमी०/71/7965 दिनांक, 2-5-72 के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिभार अधिनियम, 1960 की धारा 2 के अन्तर्गत अधिभार कायम करते समय केवल आबपाण भूमि के लगान की 1/3 धनराशि ही कायम की जाये और गैर आबपाण भूमि एवं उफतादाद भूमि पर पूरा अधिभार लिये जाने के आपके निर्णय को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक प० 6(67) राज०/ख/71, दिनांक 10 दिसम्बर, 1971 प्रेपक उप-शासन सचिव, राजस्व (ख) विभाग, राजस्थान, जयपुर प्रेषित जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ एवं निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।

विषय:—चरनोट भूमि में नाजायज कब्जों से प्राप्त पैनलटी रकम की सुपुर्दगी।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार निवेदन है कि चरनोट की भूमि में नाजायज कब्जे से प्राप्त पैनलटी की रकम सम्बन्धित पंचायत के सुपुर्द की जानी चाहिए।

भवदीय,
ह० गणपतराय,
उप-शासन सचिव।

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक एफ० 6 (67) रा०/ख/71, जयपुर, दिनांक 24-7-1972 ओर से उप-सचिव (राजस्व) (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर वास्ते समस्त जिलाधीश।

विषय :—चारागाह भूमि में अतिक्रमण से बेदखली से होने वाली आय पंचायतों को देने बावत स्पष्टीकरण।

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के लागू होने के दिनांक से चारागाह की भूमि में अतिक्रमण से बेदखली में प्राप्त होने वाली पैनलटी की रकम सम्बन्धित पंचायत को देय होगी।

राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: प० 14(11) रामले०/रेमी०/72/21711

दिनांक 19 दिसम्बर, 1972

परिपत्र

चरनोट भूमि में नाजायज कब्जा से प्राप्त पैनलटी की रकम को पंचायतों को हस्तान्तरण करने के संबंध में राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक एफ० 6 (67) रा०/ख/71, दिनांक 9-5-72

(प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये हैं कि जरनोट भूमि पर हुए अतिक्रमण पर धैनलटी की रकम पटवारी द्वारा बसुल की जावेगी अगर पटवारी इस रकम को तहसील में जमा करा देंगे । तत्पश्चात् तहसीलदार इस राशि का भुगतान सीधे ही संबंधित पंचायत को करेंगे । यह राशि तहसीलदार द्वारा राज्य कोष में जमा नहीं कराई जावेगी ।

ग्रतएव निर्देशानुसार समस्त जिलाधीशों का ध्यान उपरोक्त राज्यादेश की ओर आकर्षित कर निवेदन है कि कृपया इस संबंध में अपने अवीनस्थ तहसीलदारों को राज्यादेश की पालना में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें ।

ह०
वरिष्ठ लेखाधिकारी,
राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर ।

क्रमांक : प० 14(11) रामलै०/रेमी०/72/21712-45

दिनांक 19 दिसम्बर, 1972

प्रतिलिपि:-

1. समस्त जिलाधीश ।

2. तहसीलदार, कुशलगढ़ को माननीय सदस्य महोदय (श्री डी० सी० जोसफ) द्वारा दिनांक 24-10-72 को किये गये तहसील के निरीक्षण के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

3. निरीक्षक, राजस्व लेखा ।

ह०
वरिष्ठ लेखाधिकारी,
राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर ।

कार्यालय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:

दिनांक 19 जुलाई, 1976

सहायक सचिव,
वित्त (ए० एण्ड आई०) विभ.ग,
राजस्थान, जयपुर ।

विषयः—ड्राफ्ट राजस्व लेखा मेन्युअल ।

69

ताते

महोदय,

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ० 5 (90) एफ०डी० (आर०, एण्ड ए० आई०) ग्रुप-3/72, दिनांक 16-3-74 में प्रदत्त संशोधित शिवितयों के अनुसार मेन्युअल के अनु० 90 के पश्चात् 90-ए व नवीन अनुच्छेद 90-ए व 108 का प्राप्त पुनः तैयार कर उसमें अन्तर्विष्ट करने हेतु एतद्वारा संलग्न है ।

भवदीय,

त्र

ह०
वरिष्ठ लेखाधिकारी,
कैम्प जयपुर ।

नवीन अनुच्छेद १०-ए का प्रारूप

१०-ए

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के संशोधित परिशिष्ट ४ के आईटम संख्या ३३ के अन्तर्गत जिलाधीश, भू-राजस्व की बकाया की वसूली के लिये उचित किस्त निर्धारित कर सकते हैं जिससे कि बकाया राशि अधिक से अधिक ५ वर्ष की अवधि में पूर्ण रूप से वसूल हो सके।

१०८. राजस्व में छूट, कमी तथा हानि को समाप्त करने के लिये सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेना आवश्यक है। राजस्व मांग में छूट कमी तथा अपलेखन के लिये वित्तीय शक्तियां निम्न प्रकार हैं:—

क्र० सं० नियमों का प्रसंग	कमी, छूट आदि की परिस्थितियां	वित्तीय शक्तियां	
१	२	३	४
१. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के परिशिष्ट सं० ४ का आईटम सं० ३१।	किसी विशिष्ट भूमि के नदी या तालाब में समाजने अथवा सड़क में काम में आ जाने तक प्रत्येक मामले में। अथवा सार्वजनिक उपयोग में लेने अथवा जिलाधीश रु० ५००/- काश्तकार की भूत्यु होने के बाद उत्तरा-उपजिलाधीश रु० २५०/- धिकारी न होने से खेती न करने अथवा तहसीलदार रु० १००/-। जिलाधीश द्वारा चारागाह घोषित कर देने आदि के परिणाम स्वरूप राजस्व/लगान कम करने की स्वीकृति देना।	राजस्व मण्डल रु० २,०००/-	
२. उपरोक्त आईटम सं० ३१-ए०।	गलत मांग निर्धारण होने के कारण मांग में कमी की स्वीकृति देना।	जिलाधीश रु० १,०००/- प्रत्येक मामले में उप-जिलाधीश रु० ५००/- तहसीलदार रु० १००/-।	
३. उपरोक्त आईटम सं० ३१-बी०।	जागीर पुनर्ग्रंहण की तिथि में परिवर्तन होने से मांग के गलत निर्धारण होने पर भू-राजस्व की मांग में कमी की स्वीकृति देना।	राजस्व मण्डल पूर्व शक्ति जिलाधीश रु० ५,०००/- प्रत्येक मामले में।	
४. उपरोक्त आईटम सं० ३१-डी (I)।	आसामी द्वारा किसी खाते में भू-खण्ड के समर्पण एवं परित्याग के कारण लगान की मांग में कमी की स्वीकृति देना।	राजस्व मण्डल रु० २०००/-, प्रत्येक मामले में जिलाधीश रु० २००/-।	
५. उपरोक्त का आईटम सं० ३१-डी (II)	राजकीय विभागों द्वारा उपयोग में ली गई भूमि के भू-राजस्व की मांग को किश्तबन्दी से निम्नलिखित शर्तों के अधीन कम करने की स्वीकृति देना।	राजस्व मण्डल रु० २,०००/- प्रत्येक मामले में जिलाधीश रु० २००/-।	

(अ) जहां भूमि नागरीय उद्देश्यों (Urban purposes) के लिये किसी राजकीय विभाग, किसी विधि के अन्तर्गत

1

2

3

4

► निर्मित निकाय (Statutory Body) : अथवा कम्पनी अधिनियम सार्वजनिक क्षेत्रीय कम्पनी (Public Sector Company) को दी गई हो तो सातीत प्रभाव से कृषि योग्य भूमि के आबादी में परिवर्तन का अंतिम रूप से अनुमोदन करने हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जायेगा तथा भू-राजस्व की मांग सातीत प्रभाव से कम की जायेगी।

(ब) जहाँ भूमि कृषि कार्य हेतु (Agriculture purposes) दी गई हो तो निम्नलिखित द्वारा भू-राजस्व दिया जाता रहेगा:—

(i) विधि के अन्तर्गत निर्मित निकाय जैसा विश्वविद्यालय।

(ii) केन्द्रीय सरकार के विभाग, जैसे सूरतगढ़ फार्म, दिल्ली दुर्घट योजना।

(iii) राज्य सरकार के विभाग जो व्यापारिक हों, जैसे भेड़ व ऊन विभाग, जयपुर दुर्घट योजना।

(iv) राज्य सरकार के विधि के अन्तर्गत निर्मित निकाय, जैसे प्रस्तावित ऊन मण्डल एवं कृषि उद्योग (Agro-Industries) निगम।


(v) केन्द्रीय सरकार के विधि के अन्तर्गत निर्मित निकाय जैसे बीज निगम, खाद्य निगम आदि।

(vi) राजकीय अथवा केन्द्रीय सरकार की कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्रीय कम्पनी एवं निगम, जैसे गंगानगर शुगर मिल्स लिं., सहकारी शुगर मिल्स आदि।

69

पाठे

प्रति



6. उपरोक्त आईटम सं० 37 (1)। मीसम वं देवीय प्रकोप के अतिरिक्त अन्य कारणों से भू-राजस्व माफ करने की स्वीकृति देना। राजस्व मण्डल पूर्ण शक्ति जिलाधीश 500/- प्रत्येक मामले में।
7. उपरोक्त का आईटम सं० 37 (2)। भू-राजस्व को तत्काल माफ करने की—
 (i) टिड्डी अन्य हानि होने पर।
 (ii) ओला या बर्फीला तूफान ग्रथवा अन्य प्राकृतिक आपत्तियों में। राजस्व मण्डल पूर्ण शक्ति जिलाधीश ₹ 5,000/- प्रत्येक जिले में फसल पर।
8. नियम 27 राजस्वान टिनेसी (सरकारी) नियम, 1955 (संशोधित नियम, 1970) जहाँ किसी ग्राम में लगातार तीन वर्ष तक निरंतर अकाल रहा हो तथा समस्त में आठ आने से अधिक हानि हुई हो तो जिलाधीश प्रथम वर्ष के लगान को स्वतः माफ करेंगे। जिलाधीश पूर्ण शक्तियाँ।
9. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के परिणाम 4 के आईटम सं० 27 (2)। राजस्व की हानियाँ (अ) राजस्व विभाग या अवसूल योग्य क्रण एवं अग्रिम— (ब) „ (स) विभागाध्यक्ष प्रथम श्रेणी प्रत्येक मामले में ₹ 10,000/-तक। „ 2000/-

उपरोक्त जक्तियाँ निम्नलिखित शर्तों के अधीन काम में ली जायेंगी :—

(I) कि हानि से किसी ऐसे नियम या पद्धति का दोषपूर्ण होना प्रकट न हो जिसमें संशोधन करने के लिये उच्च अधिकारी के आदेशों की आवश्यकता पड़े एवं

(II) किसी भी राज्य कर्मचारी की ओर से ऐसी कोई गम्भीर गताती नहीं बरती गई है कि जिससे उसके विरुद्ध उच्च प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की ज़रूरत पड़े।

2. यह हानि किसी चोरी, गवन या जालसाँजी के कारण नहीं हुई है।

3. राजस्व के नुकसानों को तथा वंसूलन होने योग्य क्रण एवं अग्रिम को अपलेखन करने की स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी इससे संतुष्ट है कि सिविल मुकदमा, जैसे सभी प्रकार के प्रयत्न वंसूल करने के लिये किये गये हैं तथा इनसे वंसूल नहीं हो सकी है एवं यह कि इनके विरुद्ध सिविल मुकदमा चलाने से कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा क्योंकि उसके पास प्रासितयाँ की कमियाँ उसके टाइटल में गम्भीर दोष हैं या ऐसे हों और अन्य समान कारण हैं परन्तु जिन मामलों में वंसूली की जाने वाली रकम 50/- रुपये से अधिक नहीं है और विभागाध्यक्ष यह सोचता है कि वगूलों के लिये अग्रिम प्रयास उचित नहीं होंगे तो वह उस राजि को अपलेखन कर सकता है।

अपलेखन की समस्त स्वीकृति की प्रतियाँ महालेखाकार को भेजी जानी चाहिये। स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा यह भी प्रमाण अभिलिखित किया जायेगा कि टिप्पणी संख्या 1 में उल्लेखित शर्तों की संतुष्टि हो चुकी है।

स्पष्टीकरण :— “प्रत्येक मामले” शब्द जो निर्दिष्ट हुआ है उसकी व्यवस्था किसी निश्चित किये गये प्रसंग से की जानी चाहिये। “एक मामले” से तात्पर्य गांव की मांग से न होकर उसका तात्पर्य “व्यक्तिगत काश्त” के मामले से है।